

भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2007

खंडों का क्रम

खंड

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।
3. विश्वविद्यालय ।
4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।
5. विश्वविद्यालय की शक्तियां ।
6. अधिकारिता ।
7. विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना ।
8. विश्वविद्यालय की निधि ।
9. कुलाध्यक्ष ।
10. विश्वविद्यालय के अधिकारी ।
11. कुलाधिपति ।
12. कुलपति ।
13. प्रतिकुलपति ।
14. विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष ।
15. निदेशक
16. कुलसचिव ।
17. वित्त अधिकारी ।
18. अन्य अधिकारी ।
19. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ।
20. सभा ।
21. कार्य परिषद् ।
22. विद्या परिषद् ।
23. सहबद्धता और मान्यता बोर्ड ।
24. योजना बोर्ड ।

खंड

25. विद्यापीठों का बोर्ड ।
26. वित्त समिति ।
27. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी ।
28. परिनियम बनाने की शक्ति ।
29. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे ।
30. अध्यादेश बनाने की शक्ति ।
31. विनियम ।
32. वार्षिक रिपोर्ट ।
33. वार्षिक लेखे ।
34. कर्मचारियों की सेवा की शर्तें ।
35. माध्यस्थम् अधिकरण ।
36. छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील और माध्यस्थम् की प्रक्रिया ।
37. अपील करने का अधिकार ।
38. भविष्य निधि और पेंशन निधि ।
39. विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद ।
40. समितियों का गठन ।
41. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना ।
42. विश्वविद्यालय प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना ।
43. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
44. विश्वविद्यालय के अभिलेखों को साबित करने का ढंग ।
45. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।
46. संक्रमणकालीन उपबंध ।
47. परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना ।
48. विश्वविद्यालय की संबद्ध महाविद्यालयों या संस्थाओं में अध्यापन का पाठ्यक्रम पूर्ण करना ।
49. संपत्तियों का अंतरण और कर्मचारियों के विकल्प ।
50. केंद्रीय सरकार और पोत परिवहन महानिदेशक की भूमिका ।

2007 का विधेयक संख्यांक

[दि इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी बिल, 2007 का हिन्दी अनुवाद]

भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2007

सामुद्रिक अध्ययनों तथा अनुसंधान को सुकर बनाने तथा उसे संवर्धित करने के लिए और सामुद्रिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में, सामुद्रिक पर्यावरण और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अध्यापन तथा सहबद्धक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के अठारहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 है ।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत कर सकेगी ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, और इसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “विद्या परिषद्” से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है ;

(ख) “शैक्षणिक कर्मचारिवृंद” से ऐसे प्रवर्गों के कर्मचारिवृंद अभिप्रेत हैं जो अध्यादेशों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के रूप में अभिहित किए जाएं ;

(ग) “सहबद्धता और मान्यता बोर्ड” से विश्वविद्यालय के सहबद्धता और मान्यताप्राप्त बोर्ड अभिप्रेत है ;

(घ) “अध्ययन बोर्ड” से विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ङ) “कैंपस” से शिक्षण या अनुसंधान के लिए इंतजाम करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या गठित ईकाई अभिप्रेत है ;

(च) “सक्षमता प्रमाणपत्र” से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

1958 का 44

(छ) “कुलाधिपति”, “कुलपति” और “प्रतिकुलपति” से क्रमशः विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति और प्रतिकुलपति अभिप्रेत हैं ;

(ज) “महाविद्यालय” से महाविद्यालय अभिप्रेत है जो सामुद्रिक अध्ययनों में या उनके सहयुक्त विद्याओं में शिक्षा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों सहित स्वीकृत किया गया है ;

(झ) “सभा” से विश्वविद्यालय की सभा अभिप्रेत है ;

(ञ) “विभाग” से अध्ययन विभाग अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्ययन केन्द्र है ;

(ट) “महानिदेशक” से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 7 के अधीन भारत सरकार द्वारा नियुक्त पोत परिवहन महानिदेशक अभिप्रेत है ;

1958 का 44

(ठ) “दूर शिक्षा पद्धति” से संचार के किसी माध्यम जैसे कि प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम अथवा ऐसे किन्हीं दो या अधिक माध्यमों के संयोजन द्वारा शिक्षा देने की पद्धति अभिप्रेत है ;

(ड) “कर्मचारी” से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों के शिक्षक और अन्य कर्मचारिवृंद भी हैं ;

(ढ) “कार्य परिषद्” से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् अभिप्रेत है ;

(ण) “वित्त समिति” से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है ;

(त) “शासी निकाय” से किसी महाविद्यालय या संस्था के संबंध में ऐसा शासी निकाय या कोई अन्य निकाय अभिप्रेत है जिसका कोई भी नाम हो, यथास्थिति, ऐसे महाविद्यालय या संस्था के कार्यों के प्रबंध से प्रभारित और विश्वविद्यालय द्वारा उसी रूप में मान्यताप्राप्त हो ;

(थ) “छात्र निवास” से विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या संस्था के छात्रों के लिए निवास या सामूहिक जीवन की ईकाई अभिप्रेत है ;

(द) “संस्था” से विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही या विश्वविद्यालय के

विशेषाधिकार प्राप्त अध्ययन की संस्था, विद्यापीठ, महाविद्यालय या केंद्र सामुद्रिक अध्ययन या उसकी सहयुक्त विद्या में शिक्षा प्रदान करना अभिप्रेत है ;

(घ) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित की गई अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(न) “अपतट कैंपस” से विश्वविद्यालय की संस्था, महाविद्यालय, केंद्र, विद्यापीठ या कैंपस अभिप्रेत है जो देश के बाहर स्थापित किए जा सकेंगे ;

(प) “योजना बोर्ड” से विश्वविद्यालय का योजना बोर्ड अभिप्रेत है ;

(फ) “प्राचार्य” से किसी महाविद्यालय या किसी संस्था का प्रधान अभिप्रेत है ;

(ब) “मान्यताप्राप्त संस्था” से सामुद्रिक अध्ययनों और इनके सहयुक्त विद्याओं में शिक्षा देने के लिए विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों सहित कोई संस्था अभिप्रेत है ;

(भ) “मान्यताप्राप्त शिक्षक” से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालय या संस्था में शिक्षण देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त है ;

(म) “विद्यापीठ” से विश्वविद्यालय में अध्यापन का विद्यापीठ अभिप्रेत है ;

(य) “परिनियमों” “अध्यादेशों” और “विनियमों” से क्रमशः इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों अभिप्रेत हैं ;

(यक) “विश्वविद्यालय” से इस अधिनियम के अधीन स्थापित सामुद्रिक विश्वविद्यालय अभिप्रेत है ;

(यख) “विश्वविद्यालय के शिक्षक” से आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य और उपाचार्य, ज्येष्ठ प्राध्यापक, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था में शिक्षण देने या अनुसंधान का संचालन करने के लिए नियुक्त किए जाएं ;

(यग) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन स्थापित आयोग अभिप्रेत है ।

1956 का 3

3. (1) भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा ।

विश्वविद्यालय की स्थापना ।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय इसके कैंपसों मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, विशाखापट्टनम सहित चैन्नई में होगा और अपनी अधिकारिता के भीतर ऐसे स्थानों पर, जो वह ठीक समझे ।

(3) प्रथम कुलाधिपति, प्रथम कुलपति, सभा का प्रथम सदस्य, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद्, योजना बोर्ड और वे सभी व्यक्ति, जो आगे चलकर ऐसे अधिकारी या सदस्य बने, जब तक ऐसे अधिकारी या सदस्य बने रहे, विश्वविद्यालय का गठन होगा ।

(4) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(5) विश्वविद्यालय अध्यापन और किसी सहबद्धक दोनों का विश्वविद्यालय होगा ।

4. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :--

विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रभाव ।

(i) समुद्र विज्ञान, सामुद्रिक इतिहास, सामुद्रिक विधियों, सामुद्रिक सुरक्षा, तलाश और बचाव, खतरनाक स्थोरा का परिवहन, पर्यावरणीय अध्ययनों और अन्य संबंधित

क्षेत्रों, जैसे अध्ययनों से प्रकट होने वाले क्षेत्रों पर फोकस के साथ सामुद्रिक अध्ययनों, अनुसंधान और विस्तार कार्य को सुकर बनाना, और संवर्द्धन करना और साथ ही इन क्षेत्रों और संबंधित क्षेत्रों और उनसे संबद्ध अन्य विषयों या उसके आनुषंगिक विषयों में उत्कर्षता प्राप्त करना ;

(ii) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जो ठीक समझे, संस्थागत और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करके और विज्ञान तथा सामुद्रिक और प्रौद्योगिकी के सीमांत क्षेत्रों में समाकलित पाठ्यक्रमों के लिए व्यवस्था करना और विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों में संबद्ध विद्याओं के उन्नयन के लिए सुकर बनाना ;

(iii) अध्यापन विद्या की प्रक्रिया, अंतरविषयक अध्ययन और अनुसंधान में उत्तरोत्तर प्रवीणता लाने के लिए समुचित उपाय करना और भारत के लोगों की शैक्षिक और आर्थिक हितों तथा कल्याण का संवर्द्धन करने के लिए विशेष ध्यान देना ;

(iv) भारत का संविधान में यथाउल्लेखित स्वतंत्रता का धर्म निरपेक्षता, समानता और सामाजिक न्याय को संवर्द्धन करना और राष्ट्रीय विकास के लिए आधारिक दृष्टिकोणों और मर्म के मूल्यों का संवर्द्धन करके सामाजिक, आर्थिक, रूपान्तरण के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना ;

(v) स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विकास के विषयों के लिए विश्वविद्यालय की संबद्धता द्वारा व्यष्टियों और समाज के विकास के लिए ज्ञान और दक्षता के फायदे का विस्तार करना ।

विश्वविद्यालय की शक्तियां ।

5. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

(i) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जो विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान के लिए और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए व्यवस्था करना ;

(ii) विशेष अध्यापन की जिम्मेदारी के लिए मान्यताप्राप्त संस्थाओं का उपबंध बनाना ;

(iii) अनुसंधान, प्रशिक्षण और विशेषीकृत अध्यापन के कैंपसों में महाविद्यालयों, संस्थानों, विभागों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, केन्द्रों की स्थापना करना और रखरखाव करना ;

(iv) छात्रावासों, स्वास्थ्य केन्द्रों और अन्य संबन्धित प्रसुविधाएं जैसे सभा भवनों, खेल के मैदानों, व्यामशालाओं, तैरने के तालाब, प्रशिक्षण पोतों को स्थापित करना और रखरखाव करना ;

(v) मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों के किसी समूह की सेवा करने के लिए कैंपसों की स्थापना करने की व्यवस्था करना और ऐसे कैंपसों में पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, कम्प्यूटर केन्द्रों तथा शिक्षण के केन्द्र जैसे सामान्य संसाधन केन्द्रों की व्यवस्था और रखरखाव करना ;

(vi) ऐसी शर्तों के अधीन, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, सामुद्रिक यात्राओं की सक्षमताओं के प्रमाणपत्रों से भिन्न ऐसे डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करना, जो पोत परिवहन महानिदेशक भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते रहेंगे और परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य प्रणाली के आधार पर व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाणपत्र देना और उन्हें उपाधियां या अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताएं प्रदान करना तथा उचित और पर्याप्त कारण होने पर ऐसे डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं को वापस लेना ;

(vii) परिनियमों द्वारा विहित रीति से सम्मानिक उपाधियां या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना ;

(viii) निवेशबाह्य अध्ययन, प्रशिक्षण और विस्तार सेवाओं का आयोजन करना और उन्हें प्रारंभ करना ;

(ix) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित निदेशक पद, प्रधानाचार्य पद, आचार्य पद, सह आचार्य पद, सहायक आचार्य पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना और ऐसे प्रधानाचार्य पद, आचार्य पद, सह आचार्य पद, सहायक-आचार्य पद या शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना ;

(x) सेवा की निबन्धन और शर्तों का उपबंध करना--

(i) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किए गए शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द के अध्यापकों और अन्य सदस्य ;

(ii) किसी महाविद्यालय या संस्था द्वारा नियुक्त गए शैक्षणिक कर्मचारी वृन्द के अध्यापकों और सदस्यों ; और

(iii) मान्यताप्राप्त महाविद्यालय या संस्था के किसी अन्य कर्मचारी, चाहे विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या संस्था द्वारा नियुक्त किए गए हों ;

(xi) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्त करना ;

(xii) उच्चतर विद्या की किसी संस्था को ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापस लेना ;

(xiii) शिक्षकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कर्मशालाएं, सेमिनार और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन करना ;

(xiv) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं, विद्वानों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों का संविदा पर या अन्यथा नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अभिवृद्धि में योगदान दे सकें ;

(xv) शिक्षण, गैर शिक्षण, प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना ;

(xvi) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या उच्चतर विद्या की संस्था के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार या सहयोग करना या सहयुक्त होना ;

(xvii) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त किसी संस्था में शिक्षण देने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति का अनुमोदन करना और ऐसे अनुमोदन को वापस करना ;

(xviii) मान्यताप्राप्त संस्थाओं के प्रयोजन के लिए स्थापित समुचित मशीनरी के माध्यम से निरीक्षण करना और यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना कि उनके द्वारा निदेश, अध्यापन और प्रशिक्षण के उचित मानकों का पालन किया जा रहा है और समुचित पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अस्पताल, कर्मशाला और अन्य सुविधाएं उनके लिए प्रदान की जा रही है ;

(xix) स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों या संस्थाओं के छात्रों पर फीस और अन्य

प्रभारों को विहित करके उद्गृहीत करेगा ;

(xx) एक ही और समान क्षेत्रों में कार्य करने वाले विभिन्न महाविद्यालयों और संस्थाओं के कार्य में समन्वय करना ;

(xxi) कम्प्यूटर केन्द्र, वाद्यसंगीत, विन्यास केन्द्र, पुस्तकालय, अनुरूपक जैसी केन्द्रीय प्रसुविधाओं की स्थापना करना ;

(xxii) विभिन्न विषयों के लिए पाठ्यक्रम विकास केन्द्रों की स्थापना करना ;

(xxiii) ऐसे महाविद्यालयों और संस्थाओं को, जो विश्वविद्यालय द्वारा नहीं चलाई जाती हैं, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना ; उन सभी या उनमें से किन्हीं विशेषाधिकारों का ऐसी शर्तों के अनुसार जो परिनियमों द्वारा, विहित की जाएं, वापस लेना ;

(xxiv) ऐसे छात्र निवासों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा नहीं चलाए जाते हैं, और छात्रों के लिए अन्य वास सुविधाओं को मान्यता देना, उनका मार्गदर्शन और नियंत्रण करना और ऐसी किसी मान्यता को वापस लेना ;

(xxv) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए व्यवस्था करना और अन्य संस्थाओं, औद्योगिक या अन्य संगठनों से उस प्रयोजन के लिए ऐसे ठहराव करना जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे ।

(xxvi) मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों और संस्थाओं के लिए फीसें विहित करना ;

(xxvii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना जिसके अंतर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति है ;

(xxviii) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, सहायक वृत्ति, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना ;

(xxix) फीसों और अन्य प्रभारों के संदाय की मांग करना और उन्हें प्राप्त करना ;

(xxx) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवासों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबंध करना ;

(xxxi) महिला छात्रों के संबंध में ऐसे विशेष प्रबंध बनाना, जो विश्वविद्यालय वांछनीय विचार कर सकेगा ;

(xxxii) महाविद्यालयों और संस्थाओं के तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के आचरण का विनियमन करना ;

(xxxiii) अध्ययनों के केन्द्रों और विभागों, मान्यताप्राप्त संस्थाओं, विद्यापीठों में अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों पर नियन्त्रण और प्रवेश का विनियमन करना ;

(xxxiv) महाविद्यालयों और संस्थाओं के कर्मचारियों के तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के कार्य और आचरण का विनियमन करना ;

(xxxv) छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उनके द्वारा अनुशासन का पालन कराना तथा इस संबंध में ऐसे अनुशासन संबंधी उपाय करना जो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझे जाएं ;

(xxxvi) मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों और संस्थाओं के प्रबन्ध के लिए आचरण करने की संहिता विहित करना ;

(xxxvii) विश्वविद्यालय के और उन महाविद्यालयों और संस्थाओं के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबन्ध करना ;

(xxxviii) व्यक्तियों से उपकृति, संदान और दान करना और ऐसी कुर्सियों संस्थाओं, भवनों, आदि पर उनका नामांकन करना जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे विश्वविद्यालय को उनके दान या संदान की राशि होगी जैसा विश्वविद्यालय विनिश्चित करे ;

(xxxix) किसी स्थावर या जंगम संपत्ति को, जिसके अंतर्गत न्यास और विन्यास संपत्ति है, अर्जित करना, धारण करना, उसका प्रबंध और व्ययन करना ;

(xl) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की संपत्ति की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेना ;

(xli) अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों आधारों पर, तकनीकी जनशक्ति के प्रयिक्षण, विशेषज्ञता के क्षेत्र, शिक्षा के स्तर और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यक्रम आरंभ करना ;

(xlii) अनुपूरक प्रसुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए उद्योग का सहयोग प्राप्त करने के उपाय प्रारम्भ करना ;

(xliii) “दूर शिक्षण” के माध्यम से अनुदेशों का प्रावधान करना और अनौपचारिक “मुक्त शिक्षण” औपचारिक में छात्रों को गतिशील और विपर्ययन करना ;

(xliv) अनुसंधान और शिक्षण के ऐसे केंपसों के विशेष केन्द्रों, विशेषित प्रयोगशालाएं या अन्य ईकाईयां स्थापित करना, जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक होगा ;

(xlv) यथास्थिति, किसी महाविद्यालय या संस्था या विभाग को, परिनियमों के अनुसार स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना ;

(xlvi) उद्योग और संस्थाओं के कर्मचारियों की सामुद्रिक मानक की उन्नति के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और ऐसे प्रशिक्षण के लिए फीसों को उद्गृहित करना, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ;

(xlvii) विश्वविद्यालय के लक्ष्यों और उद्देश्यों को विकसित करने के लिए यह आवश्यक विचार करना है जब और कभी देश के बाहर किसी स्थान पर अपतट कैंपस की स्थापना करना ;

(xlviii) ऐसे अन्य सभी कार्य और बातें करना जो उसके सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों ;

6. विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा ।

अधिकारिता ।

7. विश्वविद्यालय सभी स्त्रियों और पुरुषों के लिए चाहे वे किसी भी जाति, वंश, मूलवंश या वर्ग के हों, खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश पाने या उसमें उपाधि प्राप्त करने या उसके किसी विशेष अधिकार का उपभोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने के

विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना ।

लिए किसी धार्मिक विश्वास या मान्यता संबंधी मानदंड अपनाएं या उन पर अधिरोपित करें :

परंतु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय की महिलाओं, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त या समाज के दुर्बल वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के नियोजन या शिक्षा संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी ।

विश्वविद्यालय की
निधि ।

8. (1) विश्वविद्यालय की निधि, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे,—

(क) केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के विलेख द्वारा बनाए गए कोई अंशदान या अनुदान ;

(ख) राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कोई अंशदान या अनुदान ;

(ग) पोत परिवहन कम्पनियों से कोई अंशदान ;

(घ) किसी निजी व्यक्ति या संस्था द्वारा बनाई गई कोई वसीयत, संदाय और कृति और अन्य अनुदान ;

(ङ) फीसों और प्रभारों से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की गई आय ;

(च) कोई अन्य स्रोतों से प्राप्त की गई राशि ।

(2) उक्त निधि विश्वविद्यालय के ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाएगी और ऐसी रीति में जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए ।

कुलाध्यक्ष ।

9. (1) भारत का राष्ट्रपति विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा ।

(2) कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा पोषित महाविद्यालय और संस्थाएं भी हैं, कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए और उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय-समय पर एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा ; और उस रिपोर्ट की प्राप्ति पर कुलाध्यक्ष, उस पर कुलपति के माध्यम से कार्य परिषद् का विचार अभिप्राप्त करने के पश्चात् ऐसी कार्रवाई कर सकेगा और ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह रिपोर्ट में चर्चित विषयों में से किसी के बारे में आवश्यक समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा ।

(3) कुलाध्यक्ष को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं तथा उपस्कर का और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले या उससे विशेषाधिकार प्राप्त किसी महाविद्यालय या संस्था का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की गई परीक्षा, दिए गए शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों या संस्थाओं के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी मामले की बाबत उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा ।

(4) कुलाध्यक्ष, उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय की सूचना,—

(क) विश्वविद्यालय को देगा, यदि ऐसा निरीक्षण या जांच, विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालय या संस्था के संबंध में है ; या

(ख) महाविद्यालय या संस्था के प्रबंधतंत्र को देगा, यदि निरीक्षण या जांच विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालय या संस्था के संबंध में और, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या प्रबंधतंत्र को, कुलाध्यक्ष को ऐसे अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा जो वह आवश्यक समझे ।

(5) कुलाध्यक्ष, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए अभ्यावेदनों पर,

यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, ऐसा निरीक्षण या जांच करा सकेगा जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट है ।

(6) जहां कुलाध्यक्ष द्वारा कोई निरीक्षण या जांच कराई जाती है वहां, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या प्रबंधतंत्र एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा ।

(7) यदि निरीक्षण या जांच, विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए जाने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था के संबंध में की जाती है तो कुलाध्यक्ष ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को संबोधित कर सकेगा और उस पर कार्रवाई करने के संबंध में ऐसे विचार और ऐसी सलाह दे सकेगा जो कुलाध्यक्ष देना चाहे, और कुलाध्यक्ष से संबोधन की प्राप्ति पर कुलपति कार्य परिषद् को कुलाध्यक्ष के विचार तथा ऐसी सलाह संसूचित करेगा जो कुलाध्यक्ष द्वारा उस पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में दी गई हो ।

(8) यदि निरीक्षण या जांच, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त किसी महाविद्यालय या संस्था के संबंध में की जाती है तो कुलाध्यक्ष, ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में कार्रवाई करने के संबंध में कुलपति के माध्यम से संबोधित प्रबंधतंत्र को संबोधित कर सकेगा और ऐसे विचार और सलाह दे सकेगा जो वह देना चाहे ।

(9) यथास्थिति, कार्यपरिषद् या प्रबंधतंत्र, कुलपति के माध्यम से कुलाध्यक्ष को वह कार्रवाई, यदि कोई हो, संसूचित करेगा जो वह ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप करने की प्रस्थापना करता है या की गई है ।

(10) जहां कार्य परिषद् या प्रबंधतंत्र, कुलाध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में कोई कार्रवाई उचित समय के भीतर नहीं करता है वहां कुलाध्यक्ष कार्य परिषद् या प्रबंधतंत्र द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह ठीक समझे और, यथास्थिति, कार्य परिषद् या प्रबंधतंत्र ऐसे निदेशों का पालन करेगा ।

(11) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाध्यक्ष विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्यवाही को, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप नहीं हैं, लिखित आदेश द्वारा, निष्प्रभाव कर सकेगा :

परन्तु कोई ऐसा आदेश करने से पहले, वह कुलसचिव से इस बात का कारण दर्शित करने की अपेक्षा करेगा कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए और यदि उचित समय के भीतर कोई कारण बताया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा ।

(12) पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, कुलाध्यक्ष विश्वविद्यालय को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश देगा और जैसा परिस्थितियों के आधार पर उचित हो ।

(13) कुलाध्यक्ष को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं ।

10. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे—

- (1) कुलाधिपति ;
- (2) कुलपति ;
- (3) प्रतिकुलपति ;
- (4) विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष ;
- (5) निदेशक ;
- (6) कुलसचिव ;
- (7) वित्त अधिकारी ; और

विश्वविद्यालय के
अधिकारी ।

(8) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं ।

कुलाधिपति ।

11. (1) कुलाधिपति, कुलाध्यक्ष के द्वारा, ऐसी रीति से जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, नियुक्त किया जाएगा ।

(2) कुलाधिपति, अपने पदाभिधान से, विश्वविद्यालय का प्रधान होगा ।

(3) यदि वह उपस्थित है तो उपाधियां प्रदान करने और सभा के अधिवेशनों के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों में पीठासीन होगा ।

कुलपति ।

12. (1) कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए ।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलाप पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा ।

(3) यदि कुलपति की यह राय है कि किसी मामले में तुरन्त कार्रवाई आवश्यक है तो वह किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त है और अपने द्वारा उस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उस प्राधिकारी को देगा :

परन्तु यदि संबंधित प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो वह ऐसा मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर सकेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित है, यह अधिकार होगा कि जिस तारीख को ऐसी कार्रवाई का विनिश्चय उसे संसूचित किया जाता है उससे तीन मास के भीतर वह उस कार्रवाई के विरुद्ध अपील, कार्य परिषद् को करे और तब कार्य परिषद् कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई को पुष्ट कर सकेगी, उपांतरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी ।

(4) यदि कुलपति की यह राय है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी की शक्तियों के बाहर है या किया गया विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह संबंधित प्राधिकारी से अपने विनिश्चय का ऐसे विनिश्चय के साठ दिन के भीतर पुनर्विलोकन करने के लिए कह सकेगा और यदि वह प्राधिकारी उस विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनर्विलोकन करने से इंकार करता है या उसके द्वारा उक्त साठ दिन की अवधि के भीतर कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

(5) कुलपति किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निर्देश करे, किसी ऐसे महाविद्यालय या किसी संस्था, जो विश्वविद्यालय द्वारा नहीं चलाई जा रही हो, उसके भवनों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालों और उपस्कर का और महाविद्यालयों और संस्थाओं द्वारा संचालित की जा रही परीक्षाओं, अध्यापन और किए जा रहे अन्य कार्य का भी निरीक्षण करवा सकेगा और महाविद्यालय और संस्थाओं के प्रशासन और वित्त से संबद्ध किसी विषय के संबंध में, उस रीति में कोई जांच करवा सकेगा ।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं ।

13. प्रतिकुलपति की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर

प्रतिकुलपति ।

की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

14. प्रत्येक विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष ।

15. प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

निदेशक ।

16. (1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं ।

कुलसचिव ।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

(3) प्रत्येक कुल सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का प्रयोग करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए ।

17. वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

वित्त अधिकारी ।

18. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

अन्य अधिकारी ।

19. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे—

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ।

(1) सभा ;

(2) कार्य परिषद् ;

(3) विद्या परिषद् ;

(4) योजना बोर्ड ;

(5) सहबद्ध और मान्यता बोर्ड ;

(6) विद्यापीठों का बोर्ड ;

(7) वित्त समिति ; और

(8) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं ।

20. (1) सभा का गठन तथा उसके सदस्यों की पदावधि परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी ।

सभा ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभा की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना तथा विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय सुझाना ;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं पर तथा ऐसे लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना ;

(ग) कुलाध्यक्ष को किसी ऐसे मामले की बाबत सलाह देना जो उसे सलाह के

लिए निर्देशित किया जाए ; और

(घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

कार्य परिषद् ।

21. (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यपालक निकाय होगी ।

(2) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

विद्या परिषद् ।

22. (1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के मानकों के रखरखाव के लिए जिम्मेदारी होगी और उन पर नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण रखेगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जो उसे प्रदत्त किए जाएं या उसे अधिरोपित किए जाएं ।

(2) विद्या परिषद् को सभी विद्या के विषयों पर कार्यकारी परिषद् को सलाह देने का अधिकार होगा ।

(3) विद्या परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

सहबद्धता और मान्यता बोर्ड ।

23. (1) सहबद्ध और मान्यता बोर्ड विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में महाविद्यालयों और संस्थाओं में प्रवेश देने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) सहबद्ध और मान्यता बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी ऐसी शक्तियां और कर्तव्यों होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

योजना बोर्ड ।

24. (1) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान योजना बोर्ड निकाय होगा ।

(2) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के विकास की भागीदारी करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) योजना बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियों और कृत्यों परिनियमों द्वारा विहित होंगे ।

विद्यापीठों का बोर्ड ।

25. (1) विद्यापीठों, उतने बोर्ड होंगे जितने विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे ।

(2) विद्यापीठों के बोर्डों का गठन, शक्तियां और कृत्य वही होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

वित्त समिति ।

26. वित्त समिति का गठन, उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी ।

27. ऐसे अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के रूप में घोषित किए जाएं, परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

परिनियम बनाने की शक्ति ।

28. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों का, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य ;

(ख) उक्त प्राधिकारियों और निकायों के सदस्यों का निर्वाचन और उनका पदों पर बने रहना, सदस्यों के पदों की रिक्तियों का भरा जाना तथा उन प्राधिकारियों और अन्य

निकायों से संबंधित अन्य सभी विषय जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो ;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के निबंधन और शर्तें, उनकी शक्तियां और कर्तव्य और उनकी उपलब्धियां तथा सेवा शर्तें ;

(घ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शैक्षणिक, कर्मचारिवृंद तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी उपलब्धियां ;

(ङ) किसी संयुक्त परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में काम करने वाले शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति की रीति और सेवा की शर्तें तथा उनकी उपलब्धियां ;

(च) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों से संबंधित पेंशन, बीमा और भविष्य-निधि, सेवा समाप्ति और अनुशासनिक कार्रवाई की रीति सहित उनकी सेवा की शर्तें ;

(छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धांत ;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों या विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामलों में माध्यस्थता की प्रक्रिया ;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्रवाई के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् को अपील करने की प्रक्रिया ;

(ञ) किसी महाविद्यालय या किसी संस्था या किसी विभाग को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना ;

(ट) विद्यापीठों, विभागों, केन्द्रों, छात्र-निवासों, महाविद्यालयों और संस्थाओं की स्थापना और समाप्ति ;

(ठ) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना ;

(ड) उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं का वापस लिया जाना ;

(ढ) वे शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों और संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए जा सकेंगे और ऐसे विशेषाधिकारों का वापस लिया जाना ;

(ण) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययन वृत्तियों सहायक वृत्तियां, पदक और पुरस्कार की संस्था ;

(त) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन ;

(थ) कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन बनाए रखना ;

(द) ऐसे सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाने हैं या किए जा सकेंगे ।

29. (1) प्रथम परिनियम वे हैं जो अनुसूची में उपवर्णित है ।

(2) कार्य परिषद्, समय-समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा

(1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी :

परिनियम
प्रकार
जाएंगे ।
किस
बनाए

परन्तु कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम तब तक नहीं बनाएगी, उनका संशोधन नहीं करेगी या उनका निरसन नहीं करेगी जब तक उस प्राधिकारी को प्रस्थापित परिवर्तनों पर अपनी राय लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं दे दिया गया है और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्य परिषद् विचार करेगी ।

(3) प्रत्येक नए परिनियम या किसी परिनियम के परिवर्धन या उसके किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाध्यक्ष की अनुमति अपेक्षित होगी जो उस पर अनुमति दे सकेगा या अनुमति विधारित कर सकेगा या उसे कार्य परिषद् को उसके विचार के लिए वापिस भेज सकेगा ।

(4) किसी नए परिनियम या विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाला कोई परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कुलाध्यक्ष द्वारा उसकी अनुमति न दे दी गई हो ।

(5) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक बाद की तीन वर्ष की अवधि के दौरान नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा :

परन्तु कुलाध्यक्ष, तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर, ऐसे विस्तृत परिनियम, जो वह आवश्यक समझे, ऐसी समाप्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर बना सकेगा और ऐसे विस्तृत परिनियम संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाएंगे ।

(6) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगा और यदि कार्य परिषद् किसी ऐसे निदेश को उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाध्यक्ष कार्य परिषद् द्वारा ऐसे निदेश का अनुपालन करने में उसकी असमर्थता के लिए संसूचित कारणों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, यथोचित रूप से परिनियमों को बना या संशोधित कर सकेगा ।

अध्यादेश बनाने की शक्ति ।

30. (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :--

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उस रूप में उनका नाम दर्ज किया जाना ;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम ;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम ;

(घ) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का प्रदान किया जाना, उनके लिए अर्हताएं और उन्हें प्रदान करने और प्राप्त करने के बारे में किए जाने वाले उपाय ;

(ङ) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमाओं में प्रवेश के लिए ली जाने वाली फीस ;

(च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें ;

(छ) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अंतर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और उनके कर्तव्य हैं ;

- (ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें ;
- (झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए किए जाने वाले विशेष प्रबंध, यदि कोई हों, और उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम विहित करना ;
- (ञ) उन कर्मचारिवृंदों से भिन्न जिनके लिए परिनियमों में उपबंध किए गए हैं, की नियुक्ति और उपलब्धियां ;
- (ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, विशेष केन्द्रों, विशेषित प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना ;
- (ठ) भारत में अन्य विश्वविद्यालयों या विदेश और अभिकरणों के साथ, जिनके अंतर्गत विद्वत् निकाय या संगम है, सहकार और सहयोग करने की रीति ;
- (ड) किसी अन्य ऐसे निकाय का, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाए, सृजन, उनकी संरचना और उनके कृत्य ;
- (ढ) शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारिवृंदों की सेवा की ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों, जो परिनियमों द्वारा विहित किए गए हैं ;
- (ण) विश्वविद्यालय द्वारा पोषित महाविद्यालयों और संस्थाओं का प्रबंध करना ;
- (त) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालयों और संस्थाओं का पर्यवेक्षण और प्रबंध ;
- (थ) कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए किसी तंत्र की स्थापना ; और
- (द) सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाएं या किए जाने हैं ।

(2) प्रथम अध्यादेश, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे, और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेश, परिनियमों द्वारा विहित रीति से कार्य परिषद् द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरसित या जोड़े जा सकेंगे ।

31. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, स्वयं अपने और अपने द्वारा स्थापित की गई समितियों के, यदि कोई हों, कार्य संचालन के लिए जिसका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है, परिनियमों द्वारा विहित रीति से ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हैं ।

विनियम ।

32. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार की जाएगी जिसमें, अन्य विषयों के साथ-साथ, विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए उपाय होंगे और वह सभा को उस तारीख को या उसके पश्चात् भेजी जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए और सभा अपने वार्षिक अधिवेशन में उस रिपोर्ट पर विचार करेगी ।

वार्षिक रिपोर्ट ।

(2) सभा, अपनी टीका टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाध्यक्ष को भेजेगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी, जो यथाशीघ्र उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

33. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन-पत्र, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अंतरालों पर उनकी लेखापरीक्षा की जाएगी ।

वार्षिक लेखे ।

(2) वार्षिक लेखाओं की एक प्रति, उन पर लेखापरीक्षा की रिपोर्ट और कार्य परिषद् के संप्रेक्षणों के साथ, सभा और कुलाध्यक्ष को, प्रस्तुत की जाएगी ।

(3) वार्षिक लेखाओं पर कुलाध्यक्ष द्वारा किए गए संप्रेक्षण सभा के ध्यान में लाए जाएंगे और सभा के संप्रेक्षण, यदि कोई हों, कार्य परिषद् द्वारा विचार किए जाने के पश्चात् कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(4) वार्षिक लेखाओं की एक प्रति, कुलाध्यक्ष को यथा प्रस्तुत की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो यथाशीघ्र उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

(5) संपरीक्षित वार्षिक लेखे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के पश्चात् भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे ।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें ।

34. (1) विश्वविद्यालयों की संविदा के आधार पर नियमित या अन्यथा और निबंधनों तथा शर्तों के अधीन नियुक्त प्रत्येक विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी, लिखित संविदा में प्रवेश करेगा जो परिनियमों और अध्यादेशों से, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट संविदा की एक प्रति विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी ।

माध्यस्थम का अधिकरण ।

35. (1) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा ।

(2) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चित मामलों के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक ऐसा अनुरोध माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अर्थ में इस धारा के निबंधनों पर माध्यस्थम् के लिए निवेदन समझा जाएगा ।

1996 का 26

(4) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी ।

छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील और माध्यस्थम् की प्रक्रिया ।

36. (1) कोई छात्र या परीक्षार्थी, जिसका नाम विश्वविद्यालय की नामावली से, यथास्थिति, कुलपति, अनुशासन समिति या परीक्षा समिति के आदेशों या संकल्प द्वारा हटाया गया है और जिसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने से एक वर्ष से अधिक के लिए विवर्जित किया गया है, उसके द्वारा ऐसे आदेशों की या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर कार्य परिषद् को अपील कर सकेगा और कार्य परिषद्, यथास्थिति, कुलपति या समिति के विनिश्चय को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगी या उलट सकेगी ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद उस छात्र के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा और धारा 35 के उपबंध, इस उपधारा के अधीन किए गए निर्देश को यथाशक्य लागू होंगे ।

अपील करने का अधिकार ।

37. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्था के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी अथवा किसी महाविद्यालय या संस्था के प्राचार्य या कार्य परिषद् के परिनियमों के किसी विनिश्चय

के विरुद्ध ऐसे समय के भीतर, जो परिणियमों द्वारा विहित किया जाए, कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तब कार्य परिषद् उस विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट या उपांतरित कर सकेगी या उलट सकेगी।

38. (1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिणियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा जो वह ठीक समझे।

भविष्य निधि और पेंशन निधि।

(2) जहां ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि का इस प्रकार गठन किया गया है वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो।

1925 का 19

39. यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद।

40. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को, इस अधिनियम या परिणियमों द्वारा समितियां नियुक्त करने की शक्ति दी गई है, वहां ऐसी समितियां, अन्यथा उपबंध के सिवाए, संबद्ध प्राधिकारी के सदस्यों से और ऐसे अन्य व्यक्तियों से, यदि कोई हो, प्रत्येक मामले में, जैसा प्राधिकारी उचित समझे, मिलकर बनेगी।

समितियों का गठन।

41. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के (अपने सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में सभी आकस्मिक रिक्तियां, यथाशीघ्र, ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी जो उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित करती है और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति, ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस शेष अवधि के लिए होगा, जिस तक वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना।

42. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों के बीच कोई रिक्ति या रिक्तियां हैं।

प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना।

43. परिणियमों या अध्यादेशों के उपबंधों में से किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होंगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

1872 का 1

44. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज की, जो विश्वविद्यालय के कब्जे में है, या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से रखे गए किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, यदि, कुलसचिव द्वारा सत्यापित कर दी जाने पर, उस दशा में, जिसमें उसकी मूल प्रति पेश की जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य होती, उस रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर की प्रविष्टि के अस्तित्व के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ले ली जाएगी और उससे संबंधित मामलों और संब्यवहारों के साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी, यदि पेश किया है तो साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जाएगा

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को साबित करने का ढंग।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

45. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

46. इस अधिनियम और परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) प्रथम कुलपति, कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उक्त अधिकारी पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ;

(ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्त अधिकारी, प्रतिकुलपति की अनुशंसा पर कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उक्त प्रत्येक अधिकारी तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा ;

(ग) प्रथम सभा और प्रथम कार्य परिषद् पन्द्रह से अनधिक सदस्य होंगे जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे ;

(घ)(i) प्रथम योजना बोर्ड में पन्द्रह से अनधिक सदस्य होंगे जो प्रतिकुलपित द्वारा प्रस्तुत किए गए पैनल से, कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और तीन वर्ष की अवधि तक, पद धारण करेंगे ;

(ii) प्रथम योजना बोर्ड को, इस अधिनियम द्वारा, उसको अतिरिक्त शक्तियां और कृत्य होंगे, जब तक इस अधिनियम या परिनियमों के उपबंधों के अधीन विद्या परिषद् का गठन नहीं होता है तब तक शिक्षा परिषद् की शक्तियों का प्रयोग करेगा और योजना बोर्ड ऐसी शक्तियों का प्रयोग ऐसे सहयोजित सदस्यों से कर सकेगा जो वह ;

परन्तु यदि उपरोक्त पदों या प्राधिकारी में कोई रिक्ति होती है तो वह कुलाध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा करके भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक वह अधिकारी या सदस्य, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति या नामनिर्देशन किया गया है, यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती तो, पद धारण करता ।

परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना ।

47. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम, अध्यादेश या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो, तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिनियम, अध्यादेश या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु परिनियम, अध्यादेश या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई

किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(3) परिनियम, अध्यादेश या विनियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों या उनमें से किसी को उस तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्वतर न हों, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी होगी किन्तु किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम का भूतलक्षी प्रभाव इस प्रकार नहीं दिया जाएगा जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा परिनियम, अध्यादेश या विनियम लागू हो, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

48. इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, किसी महाविद्यालय, किसी संस्था का छात्र जो ऐसे महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों की संस्था के प्रवेश से ठीक पहले, किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी विश्वविद्यालय की उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र के लिए अध्ययन कर रहा था, यथास्थिति, उस उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र के लिए अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और विश्वविद्यालय ऐसे अनुदेशों और यथास्थिति, ऐसे महाविद्यालय या संस्था या विश्वविद्यालय के अध्ययनों के पाठ्यक्रम के अनुसार ऐसे छात्र की परीक्षा के लिए उपबंध करेगा ।

विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों और सहबद्ध संस्थाओं में अध्यापन के पाठ्यक्रम को पूर्ण करना ।

49. इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण पोत चाणक्य, मुंबई, सामुद्रिक इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थान, मुंबई, सामुद्रिक इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता, एडवांस सामुदायिक अध्ययन, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय ; मुंबई और राष्ट्रीय सामुद्रिक अकादमी चैन्नई, विलय के परिणामस्वरूप सभी संपत्तियों और कर्मचारी विश्वविद्यालय को अन्तर्गत हो जाएंगे और ऐसे कर्मचारी निम्नलिखित विकल्प रखेंगे :—

कर्मचारियों का विकल्प और संपत्ति का अंतरण ।

(i) राष्ट्रीय सामुद्रिक अकादमी, चैन्नई के कर्मचारियों से भिन्न संस्थानों के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए, निबंधनों और शर्तों पर विश्वविद्यालय में सतत प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा, का विकल्प रखेंगे और सरकारी आवास सुविधाएं सतत रखेंगे या आबंटित की जाएंगी और उनको सेवानिवृत्ति तक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम प्रसुविधाएं उपलब्ध करना ;

(ii) राष्ट्रीय सामुद्रिक अकादमी, चैन्नई के कर्मचारी, उनकी सेवानिवृत्ति तक, राष्ट्रीय सामुद्रिक अकादमी, चैन्नई की निबंधनों और शर्तों पर सतत विकल्प रखेंगे ; और

(iii) सभी कर्मचारी विश्वविद्यालय की सेवा शर्तों के अनुसार विश्वविद्यालय में सम्मिलित होने का विकल्प रखेंगे ।

50. (1) विश्वविद्यालय इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में , नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा बाध्य होगा, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर उसको लिखित में दे सकेगी ।

केन्द्रीय सरकार और पोत परिवहन महानिदेशक की भूमिका ।

(2) केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय चाहे किसी प्रश्न की एक नीति का है या नहीं, अंतिम होगा ।

(3) भारत के पोत परिवहन, महानिदेशक, विश्वविद्यालय से परामर्श करने पर, जो उसके द्वारा विनिश्चित किया जाए, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, परीक्षा की सक्षमता से संबंधित शक्तियों और कृत्यों को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

अनुसूची
(धारा 29 देखिए)

विश्वविद्यालय के परिनियम

1. (1) कुलाधिपति की नियुक्ति, देश के विद्या संबंधी या सार्वजनिक जीवन के विख्यात व्यक्तियों में से कार्य परिषद् द्वारा सिफारिश किए गए तीन से अन्यून व्यक्तियों में से भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी :

कुलाधिपति ।

परन्तु यदि कुलाध्यक्ष इस प्रकार सिफारिश किए गए व्यक्तियों में किसी का अनुमोदन न करें तो वह कार्य परिषद् से नई सिफारिशें मांग सकेगा ।

(2) कुलाधिपति तीन वर्ष की अवधि के लिए, पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु अपनी पदावधि के अवसान होने पर भी कुलाधिपति पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तरवर्ती अपना पद ग्रहण न कर लें ।

2. (1) कुलपति की नियुक्ति, खंड (2) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किए गए तीन से अन्यून व्यक्तियों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी :

कुलपति ।

परन्तु यदि कुलाध्यक्ष पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन न करे तो वह विस्तारित नया पैनल मंगा सकेगा ।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट समिति में तीन व्यक्ति होंगे, जिनमें कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय या शिक्षा परिषद् या सभा का कोई सदस्य, कार्य परिषद्, योजना बोर्ड या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य या किसी मान्यताप्राप्त संस्था से संबंधित या विश्वविद्यालय से सहयोजित कोई कर्मचारी नहीं होगा और तीन व्यक्तियों में से, दो व्यक्ति कार्यकारी परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और एक कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा तथा कुलाध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति, समिति का संयोजक होगा ।

(3) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(4) कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और यथास्थिति, वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु उक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर भी वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं किया जाता है और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है :

परन्तु वह और कि कुलाध्यक्ष यह निदेश दे सकेगा कि जिस कुलपति की पदावधि समाप्त हो गई है वह कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि तक जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(5) कुलपति की उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित होंगी--

(i) कुलपति को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक वेतन और मकान किराया भत्ता से भिन्न भत्ते दिए जाएंगे और वह अपनी पदावधि के दौरान बिना किराया दिए सुसज्जित निवास-स्थान का हकदार होगा तथा ऐसे निवास-स्थान के अनुरक्षण की बाबत कुलपति को कोई प्रभार नहीं देना होगा ;

(ii) कुलपति ऐसे सेवांत फायदों और भत्तों का हकदार होगा जो समय-समय पर

कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से कार्यकारी परिषद् द्वारा नियत किए जाए :

परन्तु जहां विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए जा रहे या उसके द्वारा संबद्ध या विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय या संस्था का अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या ऐसे अन्य विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध या विश्वविद्यालय की किसी संस्था का कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाता है, वहां उसे ऐसी भविष्य-निधि में, जिसका वह सदस्य है, अभिदाय करते रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के खाते में उसी दर से अभिदाय करेगा जिससे वह व्यक्ति कुलपित के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पहले अभिदाय कर रहा था :

परन्तु यह भी कि जहां ऐसा कर्मचारी किसी पेंशन स्कीम का सदस्य रहा था, वहां विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अभिदाय करेगा ।

(iii) कुलपति ऐसी दरों से जो कार्यपरिषद् द्वारा नियत की जाएं, यात्रा भत्ते का हकदार होगा ;

(iv) कुलपति किसी कलेंडर वर्ष में तीस दिन की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी का हकदार होगा और छुट्टी, पन्द्रह दिन की दो अर्धवार्षिक किस्तों में प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा जुलाई के प्रथम दिन को अग्रिम रूप से उसके खाते में जमा कर दी जाएगी :

परन्तु यदि कुलपति किसी आधे वर्ष के चालू रहने के दौरान कुलपति का पदभार ग्रहण करता है या छोड़ता है तो अनुपाततः सेवा के प्रत्येक संपूरित मास के लिए अर्द्ध दिन की दर से छुट्टी को जमा किया जाएगा ।

(v) कुलपति, उपखंड (iv) में निर्दिष्ट छुट्टी के अतिरिक्त, सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए बीस दिन की दर से अर्ध वेतन छुट्टी का भी हकदार । वह अर्ध-वेतन छुट्टी का उपभोग चिकित्सीय प्रमाणपत्र के आधार पर पूर्ण वेतन पर परिवर्तित छुट्टी के रूप में भी किया जा सकेगा : परन्तु जब ऐसी परिवर्तित छुट्टी का उपभोग किया जाता है तो अर्ध-वेतन छुट्टी की दुगुनी मात्रा बाकी अर्ध-वेतन छुट्टी से विकलित की जाएगी ।

(6) यदि कुलपति का पद मृत्यु पदत्याग के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाता है, अथवा यदि वह अस्वस्थता के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो प्रतिकुलपति, कुलपति के कर्तव्यों का पालन करेगा :

परन्तु यदि प्रतिकुलपति उपलब्ध नहीं है, तो ज्येष्ठतम आचार्य कुलपति के कर्तव्यों का तब तक पालन करेगा जब तक, यथास्थिति, नया कुलपति पदग्रहण नहीं कर लेता या विद्यमान कुलपति अपने पद के कर्तव्यों को फिर से संभाल नहीं लेता ।

3. (1) कुलपति, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् सहबद्ध और मान्यताप्राप्त बोर्ड और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षांत समारोहों और सभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा ।

कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य ।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के किसी अधिवेशन में उपस्थित रहने और उसे संबोधित करने का हकदार होगा किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक वह ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य न हो ।

(3) यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है और उसे ऐसा पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां प्राप्त होंगी ।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यों पर नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चय को प्रभाव में लाएगा ।

(5) कुलपति को विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां होंगी और वह किन्हीं ऐसी शक्तियों का किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, प्रत्यायोजन कर सकेगा ।

(6) कुलपति को कार्य परिषद्, विद्या परिषद् योजना बोर्ड और वित्त समिति के अधिवेशन बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी ।

(7) कुलपति विश्वविद्यालय के कृत्यों को करने के लिए, जो वह आवश्यक समझे, विचार करेगा, ऐसे व्यक्तियों को छः मास की अवधि के लिए, कार्यकारी परिषद् के अनुमोदन से अल्पकालीन नियुक्तियां करने की शक्ति होगी ।

प्रतिकुलपति ।

4. (1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कार्य परिषद् द्वारा कुलपति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु जहां कुलपति की सिफारिश कार्य परिषद् द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है वहां उस मामले को कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा जो कुलपति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्ति को या तो नियुक्त करेगा या कुलपति से कार्य परिषद् के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सिफारिश करने के लिए कह सकेगा :

परन्तु यह और कि कार्य परिषद्, कुलपति की सिफारिश पर, किसी आचार्य को आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रतिकुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए किसी आचार्य को नियुक्त कर सकेगी ।

(2) प्रतिकुलपति की पदावधि वह होगी जो कार्य परिषद् विनिश्चित करे किन्तु किसी भी दशा में वह पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी या कुलपति की पदावधि की समाप्ति तक होगी, इनमें से जो भी पहले हो :

परन्तु ऐसा प्रतिकुलपति, जिसकी पदावधि समाप्त हो गई है, पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु यह और कि प्रतिकुलपति किसी भी दशा में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु यह भी कि प्रतिकुलपति, परिनियम 2 के खंड (6) के अधीन कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान, प्रतिकुलपति के रूप में अपनी पदावधि की समाप्ति पर भी पद पर तब तक बना रहेगा जब तक, यथास्थिति, कुलपति अपना पद फिर से नहीं संभाल लेता या नया कुलपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता ।

परंतु यह भी कि जह कुलपति का पद रिक्त है और वह कुलपति के कृत्यों को करने के लिए प्रतिकुलपति नहीं है तब कार्यकारी परिषद् प्रतिकुलपति को नियुक्त करेगी और इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रतिकुलपति, यथाशीघ्र कुलपति के रूप में नियुक्ति की गई है, जैसे पद धारण करेगा, जो वह न रहा हो और उसका पद ग्रहण करेगा ।

(3) (क) प्रतिकुलपति की उपलब्धियां और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं ।

(ख) प्रतिकुलपति का वेतन कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से विनिश्चित किया जाएगा ;

(ग) प्रतिकुलपति आपनी पदावधि के दौरान किरायामुक्त, सुसज्जित निवास स्थान का हकदार होगा तथा ऐसे निवास स्थान के अनुक्षण के संबंध में प्रतिकुलपति को व्यक्तिगत कोई प्रभार नहीं देना होगा ;

(घ) प्रतिकुलापति उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त, जो विश्वविद्यालय के सर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत ऐसी छुट्टी फायदों और अन्य भत्तों का हकदार होगा ;

(ङ) प्रतिकुलपति ऐसे सेवांत फायदों का हकदार होगा जो समय-समय पर कार्यकारी परिषद द्वारा नियत किए जाएं ;

(च) प्रतिकुलपति अपनी पदावधि की समाप्ति तक विश्वविद्यालय अंशदायी भविष्य निधि के अभिदाय का हकदार होगा :

परंतु जब विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय या किसी संस्था या किसी अन्य विश्वविद्यालय का या संस्था द्वारा चलाया जा रहा हो या ऐसे अन्य विश्वविद्यालय का सहबद्ध कोई कर्मचारी, प्रतिकुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है, ऐसे व्यक्ति पर विचार करने के पश्चात उसके वेतन को नियत किया जाएगा ।

(4) प्रतिकुलपति, कुलपति की ऐसे विषयों के संबंध सहायता करेगा जो इस निमित्त कुलपति द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन भी करेगा जो कुलपति द्वारा उसे सौंपे या प्रत्यायोजित किए जाएं ।

5. (1) प्रत्येक कुलसचिव की नियुक्ति, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

कुलसचिव ।

(2) कुलसचिव की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह एक से अधिक अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ।

(3) कुलसचिव की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं :

परन्तु कुलसचिव साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा ।

(4) जब कुल सचिव का पद रिक्त है या जब कुल सचिव रूग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अरने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस अधिकारी के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे ।

(5) (क) कुलसचिव को, अध्यापकों और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद को छोड़कर ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति होगी जो कार्य परिषद् के आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं तथा जांच होने तक उन्हें निलंबित करने, उन्हें चेतावनी देने या उन पर परिनिंदा की या वेतनवृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगी :

परन्तु ऐसी कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक उस संबंधित व्यक्ति को उसके संबंध में की जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर नहीं दे दिया जाता है ।

(ख) उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने के कुलसचिव के आदेश को विरुद्ध अपील कुलपति को होगी ।

(ग) ऐसे मामले में, जहां जांच से यह प्रकट हो कि कुलसचिव की शक्ति के बाहर का कोई दंड अपेक्षित है वहां, कुलसचिव, जांच के पूरा होने पर, कुलपति को अपनी सिफारिशों सहित एक रिपोर्ट देगा :

परन्तु किसी कर्मचारी पर शास्ति अधिरोपित करने के कुलपति के आदेश के विरुद्ध अपील कार्य परिषद् को होगी ।

(6) कार्यपरिषद् किसी कुलसचिव को निम्नलिखित हैसियत के एक या अधिक पदेन कार्य करने के लिए पदाभिहित करेगी अर्थात् :-

- (i) सभा का सचिव ;
- (ii) कार्यपरिषद् का सचिव ;
- (iii) विद्या परिषद् का सचिव ;
- (iv) सहबद्ध और मान्यताप्राप्त बोर्ड का सदस्य ;
- (v) योजना बोर्ड का सचिव ।

(7) नामनिर्दिष्ट कुलसचिव से संबंधित प्राधिकारी के संबंध में निम्नलिखित कर्तव्य होंगे--

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य संपत्ति को, जो कार्य परिषद् उसके भारसाधन में सौंपे, अभिरक्षा में रखे ;

(ख) उसके द्वारा नियुक्त किए गए समिति और उन प्राधिकारियों के अधिवेशन बुलाने की सभी सूचनाएं निकाले ;

(ग) उन प्राधिकारी द्वारा स्थापित उनकी समितियों के सभी अधिवेशनों के कार्यवृत्त रखे ;

(घ) सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् योजना बोर्ड और सहबद्धता और मान्यता बोर्ड के शासकीय पत्र-व्यवहार का संचालन करे ;

(ङ) अध्यादेशों द्वारा विहित की गई रीति के अनुसार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रबंध करना और अधीक्षण करना ;

(च) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के अधिवेशनों की कार्य सूची की प्रतियां जैसे ही वे जारी की जाएं, और इन अधिवेशनों के कार्यवृत्त दे ;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करे, मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करे तथा अभिवचनों को सत्यापित करे या इस प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करे ; और

(ज) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं अथवा जिनकी कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए ।

वित्त अधिकारी ।

6. (1) वित्त अधिकारी इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्ति किया जाएगा और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(2) वित्त अधिकारी की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) वित्त अधिकारी की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो समय-समय पर कार्य परिषद् द्वारा विहित की जाएं :

परन्तु वित्त अधिकारी साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा ।

(4) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त है या जब वित्त अधिकारी रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब

उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे ।

(5) वित्त अधिकारी, वित्त समिति का पदेन सचिव होगा किंतु वह ऐसी समिति का सदस्य नहीं समझा जाएगा ।

(6) वित्त अधिकारी--

(क) विश्वविद्यालय की निधि का साधारण पर्यवेक्षण करेगा और उसकी वित्तीय नीति के संबंध में उसे सलाह देगा ; और

(ख) ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं या जो परिणियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं ।

(7) कार्य परिषद् के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, वित्त अधिकारी--

(क) विश्वविद्यालय की संपत्ति और विनिधानों को, जिनके अंतर्गत न्यास और विन्यास की संपत्ति है, धारण करेगा और उनका प्रबंध करेगा ;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य परिषद् द्वारा एक वर्ष के लिए नियत आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमाओं से अधिक व्यय न किया जाए और सभी धन का व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जाए, जिनके लिए वह मंजूर या आबंटित किया गया है ;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और बजट तैयार किए जाने के लिए और उनको कार्य परिषद् को प्रस्तुत करने के लिए उत्तदायी होगा ;

(घ) नकद और बैंक अतिशेषों तथा विनिधानों की स्थिति पर बराबर नजर रखेगा ;

(ङ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों के विषय में सलाह देगा ;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर और उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाएं तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यालयों, विभागों, विश्वविद्यालय संस्थानों, केन्द्रों और विशेषित प्रयोगशालाओं के उपस्कर तथा उपयोज्य अन्य सामग्री के स्टॉक की जांच की जाए ;

(छ) अप्राधिकृत व्यय या अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति की जानकारी में लाएगा तथा व्यतिक्रमी व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई का सुझाव देगा ;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी कार्यालय, विभाग, केन्द्र, प्रयोगशाला, महाविद्यालय या संस्था से कोई ऐसी जानकारी या विवरणियां मांगेगा जो वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे ।

(8) वित्त अधिकारी की या कार्य दृष्टि द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों की विश्वविद्यालय को संदेय किसी धन के बारे में रसीद, उस धन के संदाय के लिए पर्याप्त उन्मोचन होगी ।

7. (1) प्रत्येक विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष, कुलपति द्वारा उस विद्यापीठ के आचार्यों में से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और वह पुनः नियुक्ति का पात्र होगा :

परंतु संकायाध्यक्ष साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस पद पर नहीं रहेगा :

परंतु यह और कि यदि किसी समय किसी विद्यापीठ में आचार्य नहीं है तो कुलपति

विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष ।

या कुलपति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत संकायाध्यक्ष, विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(2) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त है या जब संकायाध्यक्ष अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे ।

(3) संकायाध्यक्ष विद्यापीठ का अध्यक्ष होगा और विद्यापीठ में शिक्षा और अनुसंधान के संचालन तथा उनका स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा और उसके ऐसे अन्य कृत्य भी होंगे, जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं ।

(4) संकायाध्यक्ष को, यथास्थिति, अध्ययन बोर्डों या विद्यापीठों की समितियों के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार होगा, किंतु जब तक वह उसका सदस्य न हो उसे उसमें मतदान करने का अधिकार न होगा ।

8. (1) ऐसे विभागों के मामले में जिनमें एक से अधिक आचार्य हैं, विभागाध्यक्ष, चक्रानुक्रम के आधार पर आचार्यों में से कुलपति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

विभागाध्यक्ष ।

(2) ऐसे विभागों के मामले में जहां केवल एक आचार्य है, कार्य परिषद् को, कुलपति की सिफारिश पर, या तो आचार्य या किसी उपाचार्य को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का विकल्प होगा :

परंतु आचार्य या उपाचार्य को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को अस्वीकार करने की स्वतंत्रता होगी ।

(3) विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति उस रूप में तीन वर्ष की अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा और पुनःनियुक्ति का पात्र होगा ।

(4) विभागाध्यक्ष अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा ।

(5) विभागाध्यक्ष ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं ।

कुलानुशासक ।

9. (1) प्रत्येक कुलानुशासक की नियुक्ति कार्यपरिषद् द्वारा कुलपति की सिफारिश पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो उसे कुलपति द्वारा सौंपे जाएं ।

(2) प्रत्येक कुलानुशासक दो वर्ष की अवधि पर्यंत पद धारण करेगा और पुनःनियुक्ति का पात्र होगा ।

पुस्तकालय
अध्यक्ष ।

10. (1) पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति कार्य परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा ।

(2) पुस्तकालय अध्यक्ष, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं ।

कार्य परिषद् की
सदस्यता, गठन,
गणपूर्ति और
अवधि ।

11. (1) कार्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

(क) कुलपति, जो पदेन अध्यक्ष होगा ;

(ख) प्रतिकुलपति, पदेन ;

(ग) सचिव, भारत सरकार पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग (पोत

परिवहन विभाग) या उसका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से निम्नपंक्ति का न हो ;

(घ) पोत परिवहन का महानिदेशक या उसका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से निम्नपंक्ति का न हो ;

(ङ) अध्यक्ष, भारतीय पत्तन संगम, नई दिल्ली ;

(च) वित्त सलाहकार, भारत सरकार पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, (पोत परिवहन विभाग), या उसका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से निम्नपंक्ति का न हो ;

(छ) कुलपति की सिफारिश पर, कम से कम दस व्यक्तियों की सूची में से कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे पांच सदस्य, जो सामुद्रिक शिक्षा, उद्योग, विज्ञान या प्रौद्योगिकी और अन्य संबंधित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान और/ या व्यावहारिक अनुभव रखते हों ।

(ज) केन्द्रीय सरकार के रक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला ऐसा एक सदस्य, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से निम्नपंक्ति का न हो ;

(झ) ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विद्यापीठ का एक संकायाध्यक्ष ;

(ञ) ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो निदेशक ;

(ट) चक्रानुक्रम में कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट संबद्ध महाविद्यालय का एक प्राचार्य ;

(ठ) किसी तकनीकी विश्वविद्यालय का वर्तमान या पूर्ववर्ती एक कुलपति

(2) कुलसचिव, कार्यपरिषद् का पदेन सचिव होगा ।

(3) कार्य परिषद् के अधिवेशन की गणपूर्ति सात सदस्यों से होगी ।

(4) कार्य परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न, सदस्य, तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे ।

(5) कार्य परिषद् के एक वर्ष में, चार से कम अधिवेशन, नहीं होंगे और किसी अधिवेशन में कारबार का संचालन करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के नियम तथा अधिवेशन के संबंध में ऐसे अन्य विषय, जो आवश्यक हों, ऐसे होंगे, जो परिणियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

12. (1) कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय के राजस्व और संपत्ति के प्रबंध और प्रशासन की तथा विश्वविद्यालय के सभी ऐसे प्रशासनिक कार्यकलापों के, जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है, संचालन की शक्ति होगी ।

कार्य परिषद् की शक्तियां और कृत्य ।

(2) इस अधिनियम, परिणियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कार्य परिषद् को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् :-

(i) अध्यापन और शैक्षणिकों पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या तथा उसकी उपलब्धियां अवधारित करना और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालयों और संस्थानों के आचार्यों, सह-आचार्यों, सहायक आचार्यों और प्राचार्यों, अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के कर्तव्यों और सेवा की शर्तों को अवधारित करना :

परंतु अध्यापकों और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की संख्या, अर्हता और उपलब्धियों के संबंध में कोई कार्रवाई कार्य-परिषद् द्वारा विद्या परिषद् की सिफारिश पर विचार किए बिना नहीं की जाएगी ;

(ii) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालयों और संस्थानों के उतने आचार्यों, सह आचार्यों, सहायक आचार्यों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद, जितने आवश्यक हों, तथा प्राचार्यों को इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त करना तथा उनमें अस्थायी रिक्तियों का भरना;

(iii) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से उन पर नियुक्तियां करना ;

(iv) कुलाधिपति और कुलपति से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को अनुपस्थिति छुट्टी मंजूर करना तथा ऐसे अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक व्यवस्था करना ;

(v) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उसका पालन कराना ;

(vi) विश्वविद्यालयों के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, संपत्ति, कामकाज तथा सभी अन्य प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबंध तथा विनियमन करना और उस प्रयोजन के लिए उतने अभिकर्ता नियुक्त करना, जितने वह ठीक समझे ;

(vii) वित्त समिति की सिफारिशों पर वर्ष भर के कुल आवर्ती और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाएं नियत करना ;

(viii) विश्वविद्यालय के धन को, जिनके अंतर्गत अनुपयोजित आय है, समय-समय पर ऐसे स्टाकों, निधियों, शेयर या प्रतिभूतियों में विनिधान करना जो वह ठीक समझे या भारत में स्थावर संपत्ति के क्रय में विनिधान करना, जिसमें ऐसे विनिधान में समय-समय पर परिवर्तन करने की शक्ति है ;

(ix) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण करना या अंतरण स्वीकार करना ;

(x) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए भवनों, परिसरों, फर्नीचर, साधित्रों और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(xi) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित और रद्द करना ;

(xii) विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारियों और छात्रों की, जो किसी कारण से, व्यथित अनुभव करें, किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्यायनिर्णयन करना और यदि ठीक समझा जाता है तो उन शिकायतों को दूर करना ;

(xiii) परीक्षकों और अनुसमीकों को नियुक्त करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना तथा उनकी फीसों, उपलब्धियां और यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते, विद्या परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् नियत करना ;

(xiv) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा की अभिरक्षा और उपयोग की व्यवस्था करना ;

(xv) छात्राओं के निवास और उनमें अनुशासन के लिए आवश्यक विशेष

इंतजाम करना ;

(xvi) विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रतिकुलपति, संकायाध्यक्षों, कुलसचिव या वित्त अधिकारी या ऐसा अन्य कर्मचारी या प्राधिकारी को या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति को, जैसा वह उचित समझे अपनी किसी शक्ति का प्रत्यायोजन करना ;

(xvii) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, सहायकता पदक और पुरस्कार संस्थित करना ;

(xviii) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं तथा विद्वानों की नियुक्ति का उपबंध करना और ऐसी नियुक्तियों के निबंधनों और शर्तों का अवधारण करना ; और

(xix) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

सभा के अधिवेशन ।

13. (1) सभा का वार्षिक अधिवेशन, उस दशा के सिवाय, जब किसी वर्ष के संबंध में सभा में कोई अन्य तारीख नियत की हो, कार्य परिषद् द्वारा नियत तारीख को होगा ।

(2) सभा के वार्षिक अधिवेशन में, पूर्व वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकरण की रिपोर्ट, प्राप्तियों और व्यय के विवरण, यथा संपरीक्षित तुलनपत्र और अगले वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलनों सहित, प्रस्तुत की जाएगी ।

(3) खंड (2) में निर्दिष्ट प्राप्तियों और व्यय का विवरण, तुलनपत्र और वित्तीय प्राक्कलनों की प्रति सभी के प्रत्येक सदस्य को वार्षिक अधिवेशन की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व भेजी जाएगी ।

(4) सभा के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति सभा के बारह सदस्यों से होगी ।

(5) सभा के विशेष अधिवेशन, कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा, या यदि कोई कुलपति नहीं है तो प्रतिकुलपति द्वारा या यदि कोई प्रतिकुलपति नहीं है तो कुलसचिव द्वारा बुलाए जा सकेंगे ।

14. (1) विद्यापरिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(क) कुलपति, जो पदेन अध्यक्ष होगा ;

(ख) प्रतिकुलपति ;

(ग) मुख्य सर्वेक्षक, भारत सरकार पोत परिवहन का महानिदेशक, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (पोत परिवहन विभाग), या उसका नामनिर्देशिता ;

(घ) नौ-सलाहकार, भारत सरकार पोत परिवहन का महानिदेशक, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (पोत परिवहन विभाग), या उसका नामनिर्देशिती ;

(ङ) विभाग के संकायाध्यक्ष ;

(च) कैंपस अनुसंधान करने वाले विश्वविद्यालय के सभी निदेशक ;

(छ) विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के सभी प्रमुख ;

विद्या परिषद् की सदस्यता, गठन, गणपूर्ति और अवधि ।

(ज) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्रत्येक विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग से एक आचार्य ;

(झ) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट, सामुद्रिक विद्याओं और संबंधित विषयों के क्षेत्र में तीन विख्यात विशेषज्ञ ;

(ञ) मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों के दो प्राचार्य ।

(2) कुल सचिव, विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा, किंतु उसको मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

(3) विद्या परिषद् के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति विद्या परिषद् के नौ सदस्यों से होगी ।

(4) पदेन सदस्यों से भिन्न विद्या परिषद् के सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

(5) विद्या परिषद् एक वर्ष में कम से कम दो अधिवेशन करेगी ।

15. इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, विद्या परिषद् को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

विद्या परिषद् की शक्तियां ।

(क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का साधारण पर्यवेक्षण करना और शिक्षण के तरीकों, महाविद्यालयों और संस्थाओं में अध्यापन का सहकार करने, अनुसंधान के मूल्यांकन या शैक्षणिक स्तरों में सुधार के बारे में निदेश देना ;

(ख) विद्यापीठों के बीच समन्वय स्थापित करना या विद्यापीठों के बीच ली जाने वाली परियोजनाओं के लिए ऐसी समितियों या बोर्डों की स्थापना या नियुक्ति करना ;

(ग) साधारण शैक्षणिक अभिरुचि के विषयों पर स्वप्रेरणा से या किसी विद्यापीठ या कार्य परिषद् द्वारा निर्देश किए जाने पर विचार करना और उन पर समुचित कार्रवाई करना ; और

(घ) परिनियमों और अध्यादेशों से संगत ऐसे विनियम और नियम बनाना, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकरण, अनुशासन, निवास, प्रवेश, अध्येतावृत्तियों, सहायतावृत्ति, अनुसंधान सहायतावृत्ति और अध्ययनवृत्तियों के लिए जाने और छात्रवृत्तियां, फीस, रियायतों, सामूहिक जीवन और हाजिरी के संबंध में हों ।

(ङ) कार्य परिषद् को अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की संख्या, अर्हता और उपलब्धि की सिफारिश करना ।

(च) कार्य परिषद् को परीक्षकों और अनुसीमकों की सिफारिश करना ।

(छ) कार्य परिषद् को सम्मानिक उपाधियां प्रदान करने के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना ।

(ज) कार्य परिषद् को पदों के गठन के लिए सिफारिश करना ।

16. (1) योजना बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) कुलपति, जो पदेन अध्यक्ष होगा ;

(ख) प्रतिकुलपति ;

(ग) सचिव, पोत परिवहन विभाग, भारत सरकार या उसका नामनिर्देशिती जो

योजना बोर्ड की सदस्यता, गठन, गणपूर्ति और अवधि ।

संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो ;

(घ) सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार या उसका नामनिर्देशिती जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो ;

(ङ) पोत परिवहन का महानिदेशक, पोत परिवहन विभाग, भारत सरकार ;

(च) वित्त सलाहकार, पोत परिवहन विभाग, भारत सरकार या उसका नामनिर्देशिती जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो ;

(छ) कुलपति की सिफारिश पर कम से कम छह व्यक्तियों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे दो सदस्य, जो सामुद्रिक शिक्षा, उद्योग, विज्ञान या प्रौद्योगिकी और अन्य संबंधित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान और/ या व्यावहारिक अनुभव रखते हों ।

(ज) ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विद्यापीठ का एक संकायाध्यक्ष ;

(झ) ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कैम्पस का अनुक्षण करने वाले विश्वविद्यालय का निदेशक ;

(ञ) चक्रानुक्रम में कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट संबद्ध महाविद्यालय का एक प्राचार्य ; और

(ट) किसी तकनीकी विश्वविद्यालय का वर्तमान या पूर्ववर्ती एक कुलपति :

परंतु उपरोक्त प्रवर्ग (ङ) से प्रवर्ग (झ) तक में नामनिर्दिष्ट सदस्य, यथासाध्य, भिन्न संकायों से लिए जाएंगे ।

(2) कुलसचिव, योजना बोर्ड का पदेन सचिव होगा ।

(3) योजना बोर्ड के अधिवेशनों का संचालन और ऐसे अधिवेशनों के लिए अपेक्षित गणपूर्ति, अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी ।

(4) योजना बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न, सदस्य, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

योजना बोर्ड ।

17. (1) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय का मुख्य योजना निकाय होगा और निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी -

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शैक्षणिक कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करना ;

(ख) विश्वविद्यालय में शिक्षा की संरचना संचालित करना ताकि व्यक्तित्व के विकास और समाज में उपयोगी कार्य के लिए कुशलता के लिए समुचित विषयों के विभिन्न संयोजनों का प्रस्ताव करने के लिए छात्रों को अवसर प्रदान कराए जा सकें ;

(ग) मूल्योन्मुखी शिक्षा के लिए सहायक वातावरण और पर्यावरण का सृजन करना ;

(घ) नई अध्ययन-विद्या प्रक्रियाओं का विकास करना जो व्याख्याओं, शैक्षकीय, विचार गोष्ठियों, प्रदर्शनों, स्वतः-अध्ययनों और सामूहिक व्यावहारिक परियोजनाओं को संयुक्त करेंगी ।

(2) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के विकास पर सलाह देने की और कार्यक्रमों के प्रगति कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने की शक्ति रखेगा ताकि यह अभिनिश्चित हो सके कि वे उसके द्वारा सिफारिश किए गए मार्ग पर हैं और उससे संबंधित किसी विषय पर

कार्यपरिषद् और विद्यापरिषद् को सलाह देने की शक्ति भी रखेगा ।

(3) विद्या परिषद् और कार्य परिषद् योजना बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करने के लिए आबद्ध होगा और उसके द्वारा स्वीकृत की गई ऐसी सिफारिशों का क्रियान्वयन करेगा ।

(4) योजना बोर्ड की सिफारिशें, जो खंड (3) के अधीन कार्य परिषद् और विद्या परिषद् द्वारा स्वीकृत नहीं की गई हैं, कुलपति द्वारा कार्य परिषद् या विद्या परिषद् की सिफारिशों के साथ कुलाध्यक्ष को सलाह के लिए प्रस्तुत की जाएंगी और कुलाध्यक्ष की सलाह, यथास्थिति, कार्य परिषद् या विद्या परिषद् द्वारा क्रियान्वित की जाएंगी ।

(5) योजना बोर्ड ऐसी समितियों का गठन कर सकेगा जो विश्वविद्यालय की योजना और कार्यक्रमों को मानीटर करने के लिए आवश्यक हो सकेंगी ।

विद्यापीठ
विभाग । और

18. (1) विश्वविद्यालय में उतने विद्यापीठ होंगे, जितने अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) प्रत्येक विद्यापीठ का एक विद्यापीठ बोर्ड होगा और प्रथम विद्यापीठ बोर्ड के सदस्य, कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और तीन वर्ष के लिए पद धारण करेंगे ।

(3) विद्यापीठ बोर्ड की शक्तियां और उसके कृत्य अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

(4) विद्यापीठ बोर्ड के अधिवेशनों का संचालन और ऐसे अधिवेशनों के लिए अपेक्षित गणपूर्ति अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी ।

(5) (क) प्रत्येक विद्यापीठ में उतने विभाग होंगे, जितने अध्यादेशों द्वारा उनमें रखे जाएं :

(ख) कोई विभाग, परिणियमों के सिवाय, स्थापित या समाप्त नहीं किया जाएगा :

परंतु कार्य परिषद्, विद्या परिषद् की सिफारिश पर, ऐसे अध्ययन केन्द्र स्थापित कर सकेगी, जिनमें विश्वविद्यालय के उतने शिक्षक लगाए जा सकेंगे, जितने कार्य परिषद् आवश्यक समझे ।

(ग) प्रत्येक विभाग में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

(i) विभाग के शिक्षक ;

(ii) विभाग में अनुसंधान करने वाले व्यक्ति ;

(iii) विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष ;

(iv) विभाग से संलग्न मानद आचार्य, यदि कोई हो ; और

(v) ऐसे अन्य व्यक्ति, जो अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार विभाग के सदस्य हों ।

19. (1) प्रत्येक विभाग में एक स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड और एक पूर्व स्नातक अध्ययन बोर्ड होगा ।

अध्ययन बोर्ड ।

(2) स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड का गठन और उसके सदस्यों की पदावधि अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी ।

(3) स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड के कृत्य विभिन्न उपाधियों के लिए अनुसंधानार्थ विषयों और अनुसंधान उपाधियों की अन्य अपेक्षाओं का अनुमोदन करना तथा संबद्ध विद्यापीठ बोर्ड की ऐसी रीति से, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं, निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करना होंगे--

(क) अध्ययन पाठ्यक्रम और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए जिसमें अनुसंधान उपाधियां नहीं है, परीक्षकों की नियुक्ति ;

(ख) अनुसंधान पर्यवेक्षकों की नियुक्ति ; और

(ग) स्नातकोत्तर अध्यापन और अनुसंधान के स्तर में सुधार के लिए उपाय :

परंतु स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड के उपर्युक्त कृत्यों का पालन, इस अध्यादेश के अधीन अध्ययन बोर्ड का गठन होने तक विभाग द्वारा किया जाएगा ।

(4) पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक अध्ययन बोर्ड का गठन और कृत्य और उसके सदस्यों की पदावधि अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी ।

20. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

वित्त समिति ।

(i) कुलपति ;

(ii) प्रतिकुलपति ;

(iii) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति जिनमें से कम से कम एक कार्य परिषद् का सदस्य होगा ; और

(iv) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति ।

(2) वित्त समिति के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति उसके पांच सदस्यों से होगी ।

(3) वित्त समिति के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे ।

(4) यदि वित्त समिति का कोई सदस्य उसके किसी विनिश्चय से सहमत नहीं है तो उसे विसम्मति का कार्यवृत्त अभिलिखित करने का अधिकार होगा ।

(5) लेखाओं की परीक्षा और व्यय की प्रस्थापनाओं की संवीक्षा करने के लिए वित्त समिति का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष कम से कम तीन बार होगा ।

(6) पदों के सृजन से संबंधित सभी प्रस्थापनाओं की और उन मदों की जो बजट में सम्मिलित नहीं की गई हैं, कार्य परिषद् द्वारा उन पर विचार किए जाने से पूर्व, वित्त समिति द्वारा परीक्षा की जानी चाहिए ।

(7) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन, वित्त समिति के समक्ष विचार तथा टीका-टिप्पणी के लिए रखे जाएंगे और तत्पश्चात् कार्य परिषद् के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(8) वित्त समिति वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिए सीमाओं की सिफारिश करेगी जो उस विश्वविद्यालय की आय और उसके साधनों पर आधारित होगी (जिनके अंतर्गत उत्पादक कार्यों की दशा में, उधारों के आगम भी हो सकेंगे) ।

चयन समितियां ।

21. (1) आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक, कुलसचिव, वित्त अधिकारी, पुस्तकालय अध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालयों और संस्थाओं के प्राचार्यों के पदों पर नियुक्ति के लिए कार्य परिषद् को सिफारिश करने के लिए चयन समितियां होंगी ।

(2) नीचे की सारणी के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशिनी और उक्त सारणी के स्तंभ 2 की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे ।

सारणी

| 1 | 2 |
|--|---|
| आचार्य | <p>(i) संबद्ध विभाग का अध्यक्ष यदि वह कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया आचार्य है ।</p> <p>(ii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक आचार्य ।</p> <p>(iii) तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, कार्य परिषद् द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिनकी सिफारिश विद्या परिषद् द्वारा उस विषय में, जिससे आचार्य का संबंध होगा, उनके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो ।</p> |
| उपाचार्य/प्राध्यापक | <p>(i) संबद्ध विभाग का अध्यक्ष ।</p> <p>(ii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक आचार्य ।</p> <p>(iii) दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, कार्य परिषद् द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिनकी सिफारिश विद्या परिषद् द्वारा उस विषय में जिससे उपाचार्य या प्राध्यापक का संबंध होगा, उनके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो ।</p> |
| कुलसचिव, वित्त अधिकारी | <p>(i) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट उसके दो सदस्य ।</p> <p>(ii) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसा एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो ।</p> |
| पुस्तकालय अध्यक्ष | <p>(i) दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो जिन्हें पुस्तकालय विज्ञान/पुस्तकालय प्रशासन के विषय का विशेष ज्ञान हो, कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।</p> <p>(ii) एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो, परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।</p> |
| विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालय या संस्था का प्राचार्य | <p>तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिनमें से दो कार्य परिषद् द्वारा और एक विद्या परिषद् द्वारा उनके ऐसे किसी विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के कारण नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिसमें उस महाविद्यालय या संस्था द्वारा शिक्षा दी जा रही हो ।</p> |

टिप्पण :

(1) जब नियुक्ति अंतर अनुशासनिक परियोजना के लिए की जा रही हो तब परियोजना का प्रधान संबंधित विभाग का अध्यक्ष समझा जाएगा ।

(2) नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला आचार्य उस विशिष्ट विषय से संबद्ध आचार्य होगा जिसके लिए चयन किया जा रहा है और कुलपति, किसी आचार्य को नामनिर्दिष्ट करने से पूर्व विभागाध्यक्ष और विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष से परामर्श करेगा ।

(3) कुलपति, या उसकी अनुपस्थिति में, प्रतिकुलपति, चयन समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा :

परंतु चयन समिति का अधिवेशन कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशिनी और खंड (2) के अधीन कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के पूर्व परामर्श के पश्चात् और उनकी सुविधा के अनुसार नियत किया जाएगा:

परंतु यह और कि चयन समिति की कार्यवाहियां तब तक विधिमाम्य नहीं होंगी, जब तक--

(क) जहां कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशिनी और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या चार है, वहां उनमें से कम से कम तीन अधिवेशन में भाग न लें ; और

(ख) जहां कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशिनी और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या तीन है, वहां उनमें से कम से कम दो अधिवेशन में भाग न लें ।

(4) चयन समिति का अधिवेशन, कुलपति या उसकी अनुपस्थिति में प्रतिकुलपति द्वारा बुलाया जाएगा ।

(5) सिफारिशें करने में चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अध्यादेशों में अधिकथित की जाएगी ।

(6) यदि कार्य परिषद् चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार करने में असमर्थ हो तो वह अपने कारण अभिलिखित करेगी और मामले को अंतिम आदेश के लिए कुलाध्यक्ष को भेजेगी ।

(7) अस्थायी पदों पर नियुक्तियां नीचे उपदर्शित रीति से की जाएंगी--

(i) यदि अस्थायी रिक्ति एक शैक्षणिक सत्र से अधिक की अवधि के लिए हो तो वह पूर्वगामी खंडों में उपदर्शित प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति की सलाह से भरी जाएगी :

परंतु यदि कुलपति का यह समाधान हो जाता है कि काम के हित में रिक्ति का भरा जाना आवश्यक है तो नियुक्ति उपखंड (ii) में निर्दिष्ट स्थानीय चयन समिति द्वारा केवल अस्थायी आधार पर छह मास से अनधिक अवधि के लिए की जा सकेगी ।

(ii) यदि अस्थायी रिक्ति एक वर्ष से कम की अवधि के लिए है तो ऐसी रिक्ति पर नियुक्ति स्थानीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी जिसमें संबद्ध विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और कुलपति का एक नामनिर्देशिनी होगा :

परंतु यदि एक ही व्यक्ति संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष का पद धारण करता है तो चयन समिति में कुलपति के दो नामनिर्देशिनी हो सकेंगे :

परंतु यह और कि मृत्यु के कारण या अन्य किसी कारण से कारित अध्यापन पदों में अचानक आकस्मिक रिक्ति की दशा में, संकायाध्यक्ष संबंधित विभागाध्यक्ष के परामर्श से एक मास के लिए अस्थायी नियुक्ति कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति की रिपोर्ट कुलपति और कुल सचिव को देगा ।

(iii) यदि परिणियमों के अधीन अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए किसी शिक्षक की सिफारिश नियमित चयन समिति द्वारा नहीं की जाती है तो वह अस्थायी नियोजन पर सेवा में नहीं बना रहेगा जब तक कि, यथास्थिति, अस्थायी या स्थायी नियुक्ति के लिए स्थानीय चयन समिति द्वारा बाद में उसका

चयन नहीं कर लिया जाता ।

नियुक्ति का विशेष
ढंग ।

22. (1) परिचय 21 में किसी बात के होते हुए भी, कार्य परिषद् विद्या संबंधी उच्च विशेष उपाधि और वृत्तिक योग्यता वाले व्यक्ति को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, विश्वविद्यालय में, यथास्थिति, आचार्य या उपाचार्य का पद अथवा कोई अन्य शैक्षणिक पद स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर सकेगी और उस व्यक्ति के ऐसा करने के लिए सहमत होने पर वह उसे उस पद पर नियुक्त कर सकेगी ।

(2) कार्य परिषद्, अध्यादेशों में अधिकथित रीति के अनुसार किसी संयुक्त परियोजना का जिम्मा लेने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य करने वाले किसी शिक्षक या अन्य शैक्षणिक कर्मचारी को नियुक्त कर सकेगी ।

नियत अवधि के
लिए नियुक्ति ।

23. कार्य परिषद् परिचय 21 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार चयन किए गए किसी व्यक्ति को एक नियत अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, नियुक्त कर सकेगी ।

मान्यताप्राप्त
शिक्षक ।

24. (1) मान्यताप्राप्त शिक्षकों की अर्हताएं वे होंगी, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं ।

(2) शिक्षकों की मान्यता के लिए सभी आवेदन ऐसी रीति से किए जाएंगे जो अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जाएं ।

(3) अध्यादेशों में इस प्रयोजन के लिए अधिकथित रीति से गठित चयन समिति की सिफारिश के बिना कोई शिक्षक मान्यताप्राप्त शिक्षक नहीं होगा ।

(4) किसी शिक्षक के रजिस्ट्रीकरण की अवधि इस निमित्त बनाए गए अध्यादेशों द्वारा अवधारित की जाएगी ।

(5) विद्या परिषद्, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित एक विशेष संकल्प द्वारा शिक्षक की मान्यता वापस ले सकेगी :

परंतु जब तक इस आशय की लिखित सूचना कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित कर दिया जाए, उस संबद्ध व्यक्ति को, उससे सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कारण बताने की अपेक्षा करते हुए न दे दी जाए और जब तक विद्या परिषद् द्वारा उसके आक्षेपों पर, यदि कोई हों, और किसी साक्ष्य पर, जो वह उनके समर्थन में प्रस्तुत करें, विचार नहीं कर लिया जाता तब तक ऐसा संकल्प पारित नहीं किया जाएगा ।

(6) खंड (5) के अधीन वापस लेने के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उसको ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर कार्य परिषद् को अपील कर सकेगा जो उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे ।

25. (1) विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण, उतनी स्थायी या विशेष समितियां या खोज समिति स्थापित कर सकेगा, जितनी वह ठीक समझे और ऐसी समितियों में उन व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा, जो उस प्राधिकरण के सदस्य नहीं हैं ।

समितियां ।

(2) उपखंड (1) के अधीन नियुक्त ऐसी कोई समिति किसी ऐसे विषय में कार्यवाही कर सकेगी जो उसे प्रत्यायोजित किया जाए, किंतु वह नियुक्त करने वाले प्राधिकरण द्वारा बाद में पुष्टि के अधीन होगी ।

26. (1) विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृद्ध तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में, परिचयों, अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे ।

शिक्षकों की सेवा के निबंधन और शर्तों तथा आचार संहिता, आदि ।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक और शैक्षणिक कर्मचारिवृद्ध का सदस्य लिखित

संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, जिसका प्रारूप अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा ।

(3) खंड (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक संविदा की एक प्रति कुलसचिव के पास रखी जाएगी ।

27. शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद से भिन्न विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, तत्प्रतिकूल किसी संविदा के अभाव में, परिणियमों, अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे ।

अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तों तथा आचार संहिता ।

28. (1) जब कभी इन परिणियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुकम से विश्वविद्यालय का कोई पद धारण करना है या उसके किसी प्राधिकरण का सदस्य होना है, तो उस ज्येष्ठता का अवधारण उस व्यक्ति के, उसके ग्रेड में लगातार सेवाकाल और ऐसे अन्य सिद्धांतों के अनुसार होगा, जो कार्य परिषद् समय-समय पर, विहित करे ।

ज्येष्ठता सूची ।

(2) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि जिन व्यक्तियों को इन परिणियमों के उपबंध लागू होते हैं उनके प्रत्येक वर्ग की बाबत एक पूरी और अद्यतन ज्येष्ठता सूची खंड (1) के उपबंधों के अनुसार तैयार करे और बनाए रखे ।

(3) यदि दो या अधिक व्यक्तियों का किसी विशिष्ट ग्रेड में लगातार सेवाकाल बराबर हो अथवा किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की सापेक्ष ज्येष्ठता के विषय में अन्यथा संदेह हो तो कुलसचिव स्वप्रेरणा से वह मामला कार्य परिषद् को प्रस्तुत कर सकेगा और यदि वह व्यक्ति ऐसा अनुरोध करता है तो वह मामला कार्य परिषद् को प्रस्तुत करेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

29. (1) जहां विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी अवचार का अभिकथन हो वहां शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य के मामले में कुलपति और अन्य कर्मचारी के मामले में नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी कहा गया है) लिखित आदेश द्वारा, यथास्थिति, ऐसे शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा और कार्य परिषद् को उन परिस्थितियों की तुरंत रिपोर्ट देगा जिनमें वह आदेश किया गया था :

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का हटाया जाना ।

परंतु यदि कार्य परिषद् की यह राय है कि मामले की परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य का निलंबन होना चाहिए तो वह उस आदेश को प्रतिसंहत कर सकेगी ।

(2) कर्मचारियों की नियुक्ति की संविदा के निबंधनों में या सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी बात के होते हुए भी, शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के संबंध में कार्य परिषद् और अन्य कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को, यथास्थिति, शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य अथवा अन्य कर्मचारी को अवचार के आधार पर हटाने की शक्ति होगी ।

(3) यथापूर्वोक्त के सिवाय, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को हटाने के लिए तभी हकदार होगा जब उसके लिए उचित कारण हो, और उसे तीन मास की सूचना दे दी गई हो या सूचना के बदले में तीन मास के वेतन का संदाय किया गया हो, अन्यथा नहीं ।

(4) किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को खंड (2) या खंड (3) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उसके बारे में की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(5) किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी का हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको हटाए जाने का आदेश किया जाता है :

परंतु जहां कोई शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी हटाए जाने के समय निलंबित है, वहां उसका हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह निलंबित किया गया था ।

(6) इस परिणियम के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, कोई शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी,—

(क) यदि वह स्थायी कर्मचारी है तो, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में तीन मास का वेतन देने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा ;

(ख) यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है तो, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी को एक मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में एक मास का वेतन देने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा ;

परंतु ऐसा त्यागपत्र केवल उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको, यथास्थिति, कार्यपरिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वह त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है ।

सम्मानिक उपाधि ।

30. (1) कार्य परिषद्, विद्या परिषद् की सिफारिश पर और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कुलाध्यक्ष से सम्मानिक उपाधियां प्रदान करने की प्रस्थापना कर सकेगी :

परंतु आपात स्थिति की दशा में, कार्य परिषद् स्वप्रेरणा से ऐसी प्रस्थापना कर सकेगी ।

(2) कार्य परिषद्, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, कुलाध्यक्ष की पूर्व मंजूरी से, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी सम्मानिक उपाधि को वापस ले सकेगी ।

31. कार्य परिषद्, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित विशेष संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई उपाधि या विद्या संबंधी विशेष उपाधि या दिए गए किसी प्रमाणपत्र या डिप्लोमा को उचित और पर्याप्त कारण से वापस ले सकेगी :

परंतु इस आशय का कोई संकल्प तभी पारित किया जाएगा, जब उस व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, यह हेतुक दर्शित करने की लिखित सूचना न दे दी जाए कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित कर दिया जाएगा और जब तक कार्य परिषद् द्वारा उसके आक्षेपों पर, यदि कोई हों, और किसी ऐसे साक्ष्य पर, जो वह उनके समर्थन में प्रस्तुत करे, विचार नहीं कर लिया जाता है ।

32. (1) विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में अनुशासन और अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी सभी शक्तियां कुलपति में निहित होंगी ।

(2) कुलपति अपनी सभी शक्तियां या उनमें से कोई, जो वह ठीक समझे, कुलानुशासक और ऐसे अन्य अधिकारियों को, जिन्हें वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे,

उपाधियों, आदि का वापस लिया जाना ।

विश्वविद्यालयों के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना ।

प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

(3) कुलपति, अनुशासन बनाए रखने की तथा ऐसी कार्रवाई करने की, जो उसे अनुशासन बनाए रखने के लिए समुचित प्रतीत हो, अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्तियों के प्रयोग में आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि किसी छात्र को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निकाला या निष्कासित किया जाए अथवा विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय, संस्था, विभाग में किसी पाठ्यक्रम में कथित अवधि के लिए प्रवेश न दिया जाए अथवा उसे उतने जुर्माने का दंड दिया जाए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट है अथवा उसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, संस्था या विभाग या किसी विद्यापीठ द्वारा संचालित परीक्षा या परीक्षाओं में सम्मिलित होने से एक या अधिक वर्षों के लिए विवर्जित किया जाए अथवा संबंधित छात्र या छात्रों का, किसी परीक्षा या किन्हीं परीक्षाओं का, जिसमें वह या वे सम्मिलित हुआ है या हुए हैं, परीक्षाफल रद्द कर दिया जाए ।

(4) महाविद्यालय, संस्थाओं के प्राचार्यों, विद्यापीठों के संकायाध्यक्षों तथा विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के अध्यक्षों को यह प्राधिकार होगा कि वे अपने-अपने महाविद्यालयों, संस्थाओं, विद्यापीठों और विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों में छात्रों पर ऐसी सभी अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करें जो उन महाविद्यालयों, संस्थाओं, विद्यापीठों और विभागों में अध्यापन के उचित संचालन के लिए आवश्यक हों ।

(5) कुलपति तथा प्राचार्यों और खंड (4) में विनिर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुशासन और उचित आचरण संबंधी विस्तृत नियम विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाएंगे । महाविद्यालयों, संस्थाओं के प्राचार्य, विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष और विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के अध्यक्ष ऐसे अनुपूरक नियम बना सकेंगे, जो उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक समझें ।

(6) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह इस आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर करे कि वह अपने को कुलपति की तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की अनुशासनिक अधिकारिता के अधीन अर्पित करता है ।

33. ऐसे महाविद्यालय या संस्था के बारे में, जो विश्वविद्यालय द्वारा नहीं चलाई जाती हैं, अनुशासन तथा अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी सभी शक्तियां, अध्यादेशों द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार, यथास्थिति, महाविद्यालय या संस्था के प्राचार्य में निहित होंगी ।

महाविद्यालयों, आदि के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना ।

34. (1) विश्वविद्यालय की अधिकारिता में स्थित महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय के ऐसे विशेषाधिकार दिए जा सकेंगे जो कार्य परिषद् निम्नलिखित शर्तों पर विनिश्चित करे, अर्थात् :--

(i) प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय या संस्था का नियमित रूप से गठित एक शासी निकाय होगा जिसमें कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित पन्द्रह से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे तथा जिनमें, अन्य व्यक्तियों सहित कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के दो शिक्षक और अध्यापन कर्मचारिवृंद के तीन प्रतिनिधि होंगे जिनमें से एक महाविद्यालय या संस्था का प्राचार्य होगा । शासी निकाय के सदस्यों की नियुक्ति और महाविद्यालय या संस्था के प्रबंध पर प्रभाव डालने वाले अन्य मामलों के लिए प्रक्रिया अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी :

परंतु सरकार द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालयों और संस्थाओं की दशा में उक्त शर्त लागू नहीं होगी, तथापि, उनकी एक सलाहकार समिति होगी जिसमें पन्द्रह से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे तथा जिनमें अन्य व्यक्तियों सहित तीन शिक्षक होंगे जिनमें से एक महाविद्यालय या संस्था का प्राचार्य और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट

महाविद्यालयों आदि को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना ।

विश्वविद्यालय के दो शिक्षक होंगे ;

(ii) प्रत्येक ऐसा महाविद्यालय या ऐसी संस्था निम्नलिखित मामलों में कार्य परिषद् का समाधान करेगी, अर्थात् :--

(क) उसकी वास-सुविधा की तथा अध्यापन के लिए उपस्कर की उपयुक्तता और पर्याप्तता ;

(ख) अध्यापन कर्मचारिवृंद की अर्हताएं तथा उनकी पर्याप्तता और उनकी सेवा की शर्तें ;

(ग) छात्रों के निवास, कल्याण, अनुशासन और पर्यवेक्षण के लिए प्रबंध ;

(घ) महाविद्यालय या संस्था को निरंतर चलाने के लिए की गई वित्तीय व्यवस्था की पर्याप्तता ; और

(ङ) ऐसे अन्य मामले, जो विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक हों ;

(iii) विद्या परिषद् की सिफारिश के बिना किसी भी महाविद्यालय या संस्था को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे जो विद्या परिषद् द्वारा इस प्रयोजनार्थ स्थापित निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ही की जाएगी ;

(iv) विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार प्राप्त करने के इच्छुक महाविद्यालयों और संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना कुलसचिव को इस प्रकार दें ताकि वह उस वर्ष से जिससे आवेदित अनुज्ञा प्रभावी होनी है, पूर्ववर्ती पन्द्रह अगस्त तक उनके पास पहुंच जाएं ;

(v) महाविद्यालय या संस्था, कार्य परिषद् और विद्या परिषद् की पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसे किसी विषय पाठ्यक्रम में शिक्षण देना स्थागित नहीं करेगी, जिसका अध्यापन करने लिए वह प्राधिकृत है और जिसका वह अध्यापन करती है ।

(2) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालयों या संस्थाओं में अध्यापक कर्मचारिवृंद और प्राचार्यों की नियुक्ति अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से की जाएगी:

परंतु इस खंड की कोई बात सरकार द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालयों और संस्थाओं को लागू नहीं होगी ।

(3) खंड (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक महाविद्यालय या संस्था के प्रशासनिक तथा अन्य अशैक्षणिक कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तें वे होंगी, जो अध्यादेशों में अधिकथित की जाएं :

परंतु इस खंड की कोई बात सरकार द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालयों और संस्थाओं को लागू नहीं होगी ।

(4) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त प्रत्येक महाविद्यालय या संस्था का निरीक्षण विद्या परिषद् द्वारा स्थापित समिति प्रत्येक दो शैक्षणिक वर्षों में कम से कम एक बार करेगी और इस समिति की रिपोर्ट विद्या परिषद् को प्रस्तुत की जाएगी जो उसे अपनी ऐसी सिफारिशों के साथ, जिन्हें वह उचित समझे, कार्य परिषद् को भेजेगी ।

(5) रिपोर्ट तथा विद्या परिषद् की सिफारिशों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् कार्य परिषद् अपनी टिप्पणियों सहित, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, रिपोर्ट की एक प्रति महाविद्यालय या संस्था के शासी निकाय को यथोचित कार्रवाई के लिए भेजेगी ।

(6) कार्यकारी परिषद्, विद्या परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् किसी महाविद्यालय या संस्था को दिए गए किन्हीं विशेषाधिकारों को वापस ले सकेगी यदि किसी भी समय उसका यह विचार है कि महाविद्यालय या संस्था उन शर्तों में से किन्हीं को पूरा नहीं कर रही है जिनके आधार पर महाविद्यालय या संस्था को ऐसे विशेषाधिकार दिए गए थे :

परंतु किन्हीं विशेषाधिकारों को इस प्रकार वापस लेने के पहले संबंधित महाविद्यालय या संस्था के शासी निकाय को कार्य परिषद् के समक्ष यह अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा कि ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए ।

(7) खंड (1) में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों द्वारा, --

(i) ऐसी अन्य शर्तें, जो आवश्यक समझी जाएं ;

(ii) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों को महाविद्यालयों तथा संस्थाओं को देने और इन विशेषाधिकारों को वापस लेने से संबंधित प्रक्रिया, विहित की जा सकेंगी ।

35. उपाधियां प्रदान करने या अन्य प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह उस रीति से किए जाएंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं ।

दीक्षांत समारोह ।

36. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण की किसी समिति के अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए किसी अध्यक्ष या सभापति का उपबंध नहीं किया गया है अथवा जिस अध्यक्ष या सभापति के लिए इस प्रकार का उपबंध किया गया है वह अनुपस्थित है तो उपस्थित सदस्य ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित कर लेंगे ।

अधिवेशनों का कार्यकारी अध्यक्ष ।

37. सभा, कार्य परिषद् विद्या परिषद् या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण की किसी समिति के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकेगा और ऐसा पत्र कुलसचिव को प्राप्त होते ही पदत्याग प्रभावी हो जाएगा ।

त्यागपत्र ।

निरर्हता ।

38. (1) कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी का सदस्य चुने जाने और होने के लिए निरर्हित होगा यदि--

(i) वह विकृतचित्त है ;

(ii) वह अनुन्मोचित दिवालिया है ; और

(iii) वह किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है, किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है और उसकी बाबत छह मास से अन्धकारावास से दंडादिष्ट किया गया है ।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति खंड (1) में वर्णित निरर्हताओं में से किसी एक के अधीन है या रहा है तो वह प्रश्न कुलाध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी ।

सदस्यता और पद के लिए निवास की शर्तें ।

39. परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति, जो भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा ।

अन्य निकायों की सदस्यता के आधार पर प्राधिकारियों की सदस्यता ।

40. परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करता है या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का किसी विशिष्ट प्राधिकरण या निकाय के सदस्य की अपनी हैसियत में सदस्य है या कोई विशिष्ट नियुक्ति धारित करता है, ऐसा पद तब तक धारण करेगा या सदस्य तब तक ही रहेगा जब तक वह,

यथास्थिति, उस विशिष्ट प्राधिकरण या निकाय का सदस्य बना रहता है या उस विशिष्ट नियुक्ति को धारित करता रहता है ।

पूर्व छात्र संगम ।

41. (1) विश्वविद्यालय का एक पूर्व छात्र संगम होगा ।

(2) पूर्व छात्र संघ का सदस्य अभिदाय अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा ।

(3) पूर्व छात्र संघ का कोई भी सदस्य तब तक मत देने का या निर्वाचन में खड़े होने का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह निर्वाचन तारीख से कम से कम एक वर्ष पहले से संघ का सदस्य नहीं हो और विश्वविद्यालय की कम से कम पांच वर्ष की अवधि की डिग्री का धारक न हो :

परंतु यह कि पहले निर्वाचन की दशा में एक वर्ष की सदस्यता अवधि की शर्त लागू नहीं होगी ।

छात्र परिषद् ।

42. (1) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय में एक छात्र परिषद् गठित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे--

(i) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष, जो कि छात्र परिषद् के अध्यक्ष भी होंगे ;

(ii) वे सभी छात्र, जिन्होंने पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष में अध्ययन, ललित कला, खेलकूद गतिविधियों में और विस्तार कार्य में पुरस्कार जीते हैं ;

(iii) दस छात्र, जो अध्ययन, खेलकूद गतिविधियों और व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में योग्यता के आधार छात्र परिषद् पर नामित किए जाएं :

परंतु यह कि विश्वविद्यालय के किसी छात्र को यदि अध्यक्ष द्वारा अनुज्ञात किया जाए तो छात्र परिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय से संबंधित किसी विषय को लाने का अधिकार होगा और जब किसी बैठक में उस विषय पर विचार किया जाए तो उसे विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा ।

(2) छात्र परिषद् के ये कृत्य होंगे कि वह विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारियों को अध्ययन के कार्यक्रमों, छात्र कल्याण और अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में सामान्यतया विश्वविद्यालय के कार्य करने की बाबत सुझाव दे और ऐसे सुझाव सर्वसम्मति के आधार पर दिए जाएंगे ।

(3) छात्र परिषद् वर्ष में कम से कम एक बार अधिमानतः उस वर्ष के प्रारम्भ में बैठक करेगी ।

43. (1) धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए प्रथम अध्यादेश, कार्य परिषद् द्वारा नीचे विनिर्दिष्ट रीति से किसी भी समय, संशोधित, निरसित या परिवर्धित किए जा सकेंगे ।

(2) धारा 30 की उपधारा (1) के खंड (द) में प्रगणित मामलों से भिन्न उस धारा में प्रगणित मामलों के संबंध में कार्य परिषद् द्वारा कोई अध्यादेश तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित नहीं किया गया हो ।

(3) कार्य परिषद् को इस बात की शक्ति नहीं होगी कि वह विद्या परिषद् द्वारा खंड (2) के अधीन प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप का संशोधन करे किंतु वह प्रस्थापना को नामंजूर कर सकेगी या विद्या परिषद् के पुनर्विचार के लिए उस संपूर्ण प्रारूप को या उसके किसी भाग को उन किन्हीं संशोधनों सहित जिनका सुझाव कार्य परिषद् दे, वापस भेज सकेगी ।

(4) जहां कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप को

अध्यादेश कैसे बनाए जाएंगे ।

नामंजूर कर दिया है या उसे वापस कर दिया है वहां विद्या परिषद् उस प्रश्न पर नए सिरे से विचार कर सकेगी और उस दशा में जब मूल प्रारूप उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई और विद्या परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक बहुमत से पुनः अभिपुष्ट कर दिया जाता है तब प्रारूप कार्य परिषद् को वापस भेजा जा सकेगा जो या तो उसे मान लेगी या उसे कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर देगी, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(5) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश तुरंत प्रभावी होगा ।

(6) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश उसके अंगीकार किए जाने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा । कुलाध्यक्ष को अध्यादेश की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर ऐसे किसी अध्यादेश के प्रवर्तन को निलंबित करने के लिए विश्वविद्यालय को यह निदेश देने की शक्ति होगी और वह कार्य परिषद् को प्रस्तावित अध्यादेश पर अपने आक्षेप के बारे में सूचित करेगा । कुलाध्यक्ष विश्वविद्यालय से टिप्पणी प्राप्त कर लेने के पश्चात् वह या तो अध्यादेश का निलंबन करने वाले आदेश को वापस ले लेगा या अध्यादेश को नामंजूर कर देगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

44. (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण निम्नलिखित विषयों के बारे में इस अध्यादेश, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे, अर्थात् :-

विनियम ।

(i) उनके अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करना ;

(ii) उन सभी विषयों के लिए उपबंध करना, जिनका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों, विनियमों द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है ;

(iii) ऐसे सभी अन्य विषयों के लिए उपबंध करना, जो केवल ऐसे प्राधिकारियों या उनके द्वारा नियुक्त समितियों से संबंधित हो और जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध न किया गया हो ।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण, ऐसे प्राधिकरण के सदस्यों को अधिवेशनों की तारीखों की और उन अधिवेशनों में विचारार्थ कार्य की सूचना देने और अधिवेशनों की कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए विनियम बनाएगा ।

(3) कार्य परिषद् इन परिनियमों के अधीन बनाए गए किसी विनियम का ऐसी रीति से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन या किसी ऐसे विनियम के निष्प्रभाव किए जाने का निदेश दे सकेगी ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

45. इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या प्राधिकारी अपनी कोई शक्ति, अपने या उसके नियंत्रण में के किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी या व्यक्ति को इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगा कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग का संपूर्ण उत्तरदायित्व ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी या प्राधिकारी में निहित बना रहेगा ।

समतुल्यता कमेटी ।

46.(1) सामुद्रिक विद्या में अर्हता की उत्कृष्ट प्रकृति को दृष्टि में रखते हुए, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने, चार सरकारी सामुद्रिक संस्थानों (सामुद्रिक इंजीनियरी और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता और मुंबई, लाल बहादुर शास्त्री उच्च सामुद्रिक अध्ययन और अनुसंधान, महाविद्यालय, मुंबई, प्रशिक्षण पोत चंक्व, नवीं मुंबई), जो वर्तमान में भारतीय सामुद्रिक अध्ययन संस्थान के अधीन है, में विद्यमान अध्यापन पदों की प्रस्तावित विश्वविद्यालय में समतुल्य पदों सहित सापेक्षता पर विचार करने की दृष्टि से एक समतुल्यता समिति का गठन किया था । समिति की सिफारिशों नीचे सारणी में दी गई है :-

अनुसूची

| (1) | (2) |
|--|---|
| राजपत्र में अधिसूचना के अनुसार वर्तमान पद का नाम और वेतनमान और सीधे भर्ती नियम | विश्वविद्यालय में पद की मान्यता के लिए 'तुल्यता समिति' द्वारा सिफारिश । |
| कैप्टन अधीक्षक/ प्राचार्य/ निदेशक (रु.18400-500-22400) | आचार्य |
| उप प्राचार्य/ उप/ मुख्य / ज्येष्ठ इंजीनियर अधिकारी/ ज्येष्ठ नौ-अधिकारी (रु.14300-400-18300) | सह आचार्य |
| इंजीनियर अधिकारी/ नौ- अधिकारी (रु.12000-375-16500) | सहायक आचार्य |
| ज्येष्ठ प्राध्यापक (रु.12000-375-16500) | सहायक आचार्य |
| ज्येष्ठप्राध्यापक (एम.ई.आर.आई) (रु.10000-375-15000) | ज्येष्ठ प्राध्यापक |
| प्राध्यापक (रु.8000-275-13500) | प्राध्यापक |

(2) सामुद्रिक विद्या में स्नातकोत्तर और डाक्टरेट अध्ययनों की अनुपस्थिति में संस्थानों में विद्यमान पद समुचित वेतनमान में विश्वविद्यालय के पदों के समतुल्य समझे जाएंगे ।

(3) आगामी सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अर्हताएं विश्वविद्यालय द्वारा विरचित किए जाने वाले पृथक अध्यादेशों द्वारा शासित होंगी ।

47. फीस का प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात् पुनर्विलोकन किया जाएगा ।

फीस का पुनर्विलोकन ।

उद्देश्यों का कारणों का कथन

भारत, विश्व के विस्तृत समुद्रीय देशों में से एक है । देश में वाणिज्यिक नौसेना के समर्थ, समर्पित, दक्ष और विश्वसनीय अधिकारियों का संग्रह हैं । भारतीय समुद्रगामियों की सदैव बढ़ती हुई विश्वव्यापी मांग, भारत में प्राप्त शिक्षा और प्रशिक्षण की विशेषता का प्रमाण है । अतः अपनी प्रशिक्षण क्षमता और सामर्थ्य को और उन्नत करने की आवश्यकता है, ताकि भारत इस क्षेत्र में अन्य राष्ट्रों से आगे रहे ।

2. यह देखा गया है कि देश में वर्तमान सामुद्रिक प्रशिक्षण संगठन समान मानकों का नहीं है और भावी विकास के अवसरों के लिए इसको उन्नत किया जाना आवश्यक है ।

3. सामुद्रिक शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी समिति की सिफारिशों के आधार पर चैन्नई में एक भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय की, मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, और इसकी अधिकारिता के भीतर ऐसे अन्य स्थानों में उसके कैम्पस सहित, जिन्हें वह ठीक समझे, स्थापना करने का प्रस्ताव किया जाता है ।

4. भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय का गठन, अध्ययन के उद्गामी क्षेत्रों, जिनमें सामुद्रिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामुद्रिक पर्यावरण, विधिक और अन्य संबंधित क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, पर केन्द्रीत होते हुए सामुद्रिक अध्ययनों और अनुसंधानों को तथा विद्याओं के इन क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्राप्त करने को सुकर बनाएगा और संप्रवर्तित करेगा । यह संस्थागत तथा अनुसंधान सुविधाएं और सामुद्रिक विज्ञान में एकीकृत पाठ्यक्रम और सामुद्रिक प्रौद्योगिकी के मुख्य क्षेत्र और सहबद्ध शिक्षण प्रदान करके उच्च ज्ञान की अभिवृद्धि करेगा । चूंकि सारे देश में, सामुद्रिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्राइवेट संस्थाओं की विस्तृत संख्या है, अतः ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण क्वालिटी को, एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध करके और शैक्षणिक पर्यवेक्षण के द्वारा, मानकीकृत करने की आवश्यकता है ।

5. यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
8 फरवरी, 2007

टी.आर.बालू

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 3 चैन्नई में भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उपबंध करता है। केन्द्रीय सरकार, प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना के व्यय के साथ ही उसके आवर्ती व्यय में सहायता देगी। विश्वविद्यालय का अनावर्ती व्यय सात वर्ष के लिए आवश्यक अवसंरचना का विकास करने के लिए 230,00 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। जबकि केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को बढ़ाई गई सहायता के साथ विश्वविद्यालय को वित्तीय रूप से स्वतः पोषित बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे, तथापि वार्षिक आवर्ती व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा। पहले सात वर्ष के लिए आवर्ती व्यय लगभग 122 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है इस अवधि के पश्चात् और सहायता, आवश्यकता के आधार पर होगा।

आवर्ती और अनावर्ती व्यय भारत की संचित निधि से पूरे किए जाएंगे।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 29 यह उपबंध करता है कि पहले परिनियम वे हैं, जो विधेयक की अनुसूची में दिए गए हैं। यह विश्वविद्यालय की कार्य परिषद को, कुलाध्यक्ष की अनुमति के अधीन रहते हुए, नए या अतिरिक्त परिनियम बनाने या विश्वविद्यालय के परिनियमों का संशोधन या निरसन करने के लिए भी सशक्त बनाता है। पूर्वोक्त खंड का उपखंड (5) अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के दौरान नये या अतिरिक्त परिनियमों को बनाने के लिए या विश्वविद्यालय के परिनियमों का संशोधन या निरसन करने के लिए कुलाध्यक्ष को सशक्त करता है। इसके अतिरिक्त उपखंड (6) कुलाध्यक्ष को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश देने के लिए सशक्त करता है और यदि कार्य परिषद ऐसे निदेशों को उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर कार्यान्वित करने में असफल रहती है तो कुलाध्यक्ष यथोचित रूप से परिनियमों को बना सकेगा या उसको संशोधित कर सकेगा। उन मामलों में जिनके संबंध में कार्य परिषद और कुलाध्यक्ष ऐसे परिनियम बना सकेंगे, उनका संशोधन या निरसन कर सकेंगे जिनमें विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों के गठन, प्राधिकारियों और अन्य निकायों की शक्तियाँ और कृत्य, विश्वविद्यालय के अधिकारियों और अध्यापकों की नियुक्ति, विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तें और ऐसे अन्य मामले सम्मिलित हैं।

2. विधेयक का खंड 30 विश्वविद्यालय के कुलपति को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय के पहले अध्यादेश को बनाने के लिए सशक्त करता है और यह उपबंध करता है कि इस प्रकार बनाए गए अध्यादेशों को कार्य परिषद द्वारा किसी भी समय परिनियमों द्वारा विहित रीति में ऐसे संशोधित, निरसित किया जा सकेगा अथवा परिवर्धित किया जा सकेगा। वे मामले, जिनके संबंध में ऐसे अध्यादेश बनाए जा सकेंगे या यथास्थिति, उनको संशोधित, निरसित किया जा सकेगा या उनमें परिवर्धन किया जा सकेगा, छात्रों के प्रवेश, अध्ययन के पाठ्यक्रम, शिक्षा और परीक्षा के माध्यम, अध्ययन केन्द्रों की स्थापना, अध्ययन बोर्डों, विशेष केन्द्रों, विशेषित प्रयोगशालाओं और अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकारियों के साथ सहयोग और सहयोजन की रीति, विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित महाविद्यालयों और संस्थानों के प्रबंध और ऐसे ही अन्य विषयों से संबंधित हैं।

3. विधेयक का खंड 31, विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों को, उनके और उनके द्वारा नियुक्त समितियों के कारबार के संचालन के लिए ऐसे विनियम, जो अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हों और अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंधित न किए गए हों, बनाने के लिए सशक्त करता है।

4. वे विषय, जिनके बारे में परिनियम, अध्यादेश या विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया या ब्यौरे के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना संभव नहीं है। अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।